

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण
तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

(धारा 60, 61 (ड), 63, 67, 68 (3), 69,
71, 77, 93, 94, 104 (2), 106, 107,
108, 114, 120, 121, 123, 124, 127
तथा 256 के अधीन निर्मित)

दिनांक 06 जुलाई, 2020 से प्रभावशील

(5)

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020-आषाढ़ 15, शक 1942

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 2-2-2020-सात-शा. 7.-

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959)की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (चार), (चार-क), (चार-ख), (पांच), (पांच-क), (छ), (सात), (बारह), (तेरह), (चौदह), (उन्नीस), (बीस), (इक्कीस), (बाईस), (छब्बीस), (सत्ताईस), (सत्ताईस-क), (अठ्ठाईस), (अठ्ठाईस-क), (उन्तीस), (उनहत्तर), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना (एक) अधिसूचना क्रमांक 177-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960, (दो) अधिसूचना क्रमांक 178-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960, (तीन) अधिसूचना क्रमांक 179-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी 1960, (चार) अधिसूचना क्रमांक 180-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960, (पांच) अधिसूचना क्रमांक 235-नौ-62 दिनांक 24 जनवरी 1963, (छह) अधिसूचना क्रमांक-181-6477-सात-एन(नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना क्रमांक 1564-124/सात-एन (नियम) दिनांक 16 मार्च, 1961, (सात) अधिसूचना क्रमांक 182-6477-सात-एन दिनांक 6 जनवरी, 1960, (आठ) अधिसूचना क्रमांक 3284-379-नौ-66 दिनांक 25-11-66, अधिसूचना क्रमांक 956-3550-नौ दिनांक 16.4.1971 द्वारा यथासंशोधित, म.प्र. राजपत्र भाग-चार (ग) दिनांक 7-5-71 पृष्ठ 169 पर प्रकाशित, (नौ) अधिसूचना क्रमांक 436-1479-आठ-62 दिनांक 5 मार्च, 1962 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1962 में प्रकाशित, (दस) अधिसूचना क्रमांक 1978-458-नौ-61 दिनांक 29.6.1962, (ग्यारह) अधिकार अभिलेख तैयार करना के संबंध में बनाये गये नियम अधिसूचना क्रमांक 2498-सात-न-दिनांक 10 जून, 1965 जो कि राजपत्र

दिनांक 02 जुलाई, 1965 में प्रकाशित, (बारह) अधिसूचना क्रमांक 184-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1961, (तेरह) अधिसूचना क्रमांक 1586-1682-आठ-69 (नियम) दिनांक 17.6.1970, (चौदह) अधिसूचना क्रमांक 185-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 अधिसूचना क्रमांक 218-3446-सात-एन-1 दिनांक 20 जनवरी, 1966 द्वारा यथा संशोधित, (पन्द्रह) अधिसूचना क्रमांक 186-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, (सोलह) अधिसूचना क्रमांक 188-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 9 जनवरी, 1960, और (सत्रह) मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार जो पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

अध्याय एक साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 है।
 - (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - (3) इन नियमों में भू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षण, सीमाएं तथा सीमा चिन्ह, पटवारी, नगर सर्वेक्षक तथा राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य और अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों के निरीक्षण तथा उनके प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध अंतर्विष्ट हैं।
2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अनुमोदित विन्यास" (ले आउट) से अभिप्रेत है भू-नियोजन विधि के अधीन, विन्यास (ले आउट) का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विन्यास ;
 - (ख) "ब्लॉक संख्यांक" से अभिप्रेत है भूमि के उस प्रभाग को समनुदेशित किया गया संख्यांक जो कि संहिता के अधीन ब्लॉक संख्यांक के रूप में विरचित किया गया अथवा मान्य किया गया है;
 - (ग) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
 - (घ) "विन्यास (ले आउट) का अनुमोदन करने के लिए "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो भू-नियोजन विधि के अधीन भूमि के विन्यास (ले आउट) को अनुमोदित करने के लिए सक्षम है;
 - (ङ) "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" में ऐसा उप सर्वेक्षण अधिकारी अथवा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी सम्मिलित हैं जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा धारा 66 की उप धारा (2) के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां निहित की गई हों;
 - (च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (छ) "भू-नियोजन विधि" से अभिप्रेत हैं-
 - (एक) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

- (दो) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (तीन) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम; तथा
- (चार) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1-सन् 1994) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.

(ज) "भू-खण्ड संख्यांक" से अभिप्रेत है संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समनुदेशित संख्यांक;

(झ) "सर्वेक्षण संख्यांक" से अभिप्रेत है संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को दिया गया संख्यांक और जिसकी प्रविष्टि खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है;

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और

(ट) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा संहिता में परिभाषित किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय - दो

भू-अभिलेख

3. भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना. —(1) धारा 114 में विनिर्दिष्ट समस्त भू-अभिलेख भू-सर्वेक्षण में नए सिरे से तैयार किए जाएंगे:

परन्तु भू-अधिकार पुस्तिकाएं, भू-सर्वेक्षण में तैयार किए गए भू-अभिलेखों को नियम 22 के अधीन कलक्टर को सौंपे जाने के पश्चात् तैयार की जाएंगी:

परन्तु यह और कि भू-सर्वेक्षण में तैयार किया गया पुनर्क्रमांकन रजिस्टर धारा 114 की उपधारा(1) के खण्ड (छ) अथवा उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन भू-अभिलेख होगा।

(2) आयुक्त, भू-अभिलेख समय समय पर भू-अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण करने तथा परिरक्षण करने तथा उनमें की किसी प्रविष्टि को उपांतरित करने के लिए संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों से अनुसंगत निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) उपनियम (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब कभी राज्य सरकार धारा 108 की उपधारा (2) के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये निदेश दे, ऐसे अधिकार अभिलेख इन नियमों के अध्याय-तीन में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तैयार किया जायेगा :

परन्तु ऐसे मामले में नियम 13 के अधीन भू-सर्वेक्षण की सीमा ऐसे अधिकार अभिलेख तैयार करने मात्र तक सीमित रखी जाएगी।

4. उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेखों का तैयार किया जाना. —(1) प्रत्येक ग्राम तथा सेक्टर के लिए निम्नलिखित उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख तैयार किए जाएंगे, —

- (क) खातावार खतौनी अथवा जमाबन्दी;
- (ख) ग्राम/सेक्टरव्यापी भूमिस्वामीवार खतौनी;
- (ग) सरकारी पट्टों का रजिस्टर; और
- (घ) सीमा चिन्हों तथा संदर्भ बिन्दुओं का रजिस्टर.

(2) सम्पूर्ण राज्य के लिए "राज्यव्यापी भूमिस्वामीवार खतौनी" के नाम से ज्ञात एक उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख तैयार किया जाएगा।

5. नक्शों का तैयार किया जाना और पैमाने (स्केल). —(1) धारा 107 की उपधारा (1) में यथाउपबंधित प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम का नक्शा, एक आबादी का नक्शा तथा एक ब्लॉक का नक्शा तैयार किया जाएगा।

(2) धारा 107 की उपधारा (2) में यथाउपबंधित प्रत्येक सेक्टर के लिए एक सेक्टर का नक्शा तैयार किया जाएगा।

(3) समस्त नक्शे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में तैयार किए जाएंगे। भू-सर्वेक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जिससे कि समस्त नक्शों को 1:500 तक के पैमाने (स्केल) पर तैयार किया जाना संभव हो सके। इस प्रकार तैयार किए गए नक्शों को निम्नलिखित पैमाने (स्केल) में रखा जाएगा;

- (क) ग्राम का नक्शा 1:4000 के पैमाने (स्केल) में;

- (ख) आबादी का नक्शा अथवा ब्लॉक का नक्शा 1:500 के पैमाने (स्केल) में; और
(ग) सेक्टर का नक्शा 1:500 के पैमाने (स्केल) में।

6. भू-अभिलेखों के प्ररूप. —भू-अभिलेख निम्नलिखित प्ररूपों में तैयार किए जाएंगे —

- (क) किसी ग्राम अथवा सेक्टर का खसरा (फील्ड बुक), प्ररूप—एक में;
(ख) मसाहती खसरा, प्ररूप—दो में;
(ग) अधिकार अभिलेख, प्ररूप—तीन में;
(घ) भू-अधिकार पुस्तिका, प्ररूप—चार में;
(ङ) व्यपवर्तित भूमि के ब्यौरे, प्ररूप— पांच में;
(च) पुनर्कमांकन रजिस्टर, प्ररूप—छह में; और
(छ) (एक) दखलरहित भूमि के अभिलेख;
(दो) निस्तार पत्रक;
(तीन) वाजिब—उल—अर्ज; और
(चार) धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि के अभिलेख;

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब—उल—अर्ज) नियम, 2020 में इनके लिए विहित प्ररूपों में।

स्पष्टीकरण. —मसाहती खसरा से अभिप्रेत है पहाड़ी क्षेत्र के ऐसे ग्राम का खसरा जिसका सीमांकन नहीं किया गया हो और जिसके लिए कोई ट्रावर्स डाटा तैयार नहीं किया जा सकता हो।

7. भू-अधिकार पुस्तिका के लिए फीस. —भू-अधिकार पुस्तिका, भूमिस्वामी को ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए:

परन्तु भू-सर्वेक्षण के पश्चात् पहली बार तैयार की गयी भू-अधिकार पुस्तिका निःशुल्क प्रदाय की जाएगी।

8. उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेखों के प्ररूप. —उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख निम्नलिखित प्ररूपों में तैयार किए जाएंगे —

- (क) खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी प्ररूप—सात में;
- (ख) ग्राम/सेक्टरव्यापी भूमिस्वामीवार खतौनी प्ररूप—आठ में;
- (ग) सरकारी पट्टों का रजिस्टर प्ररूप—नौ में;
- (घ) सीमा चिन्हों तथा निर्देशांकों (रिफरेंस पाइंट) का रजिस्टर प्ररूप —दस में; तथा
- (ङ) राज्यव्यापी भूमिस्वामीवार खतौनी प्ररूप—ग्यारह में।

9. संक्रमण काल के दौरान पुराने प्ररूपों की विधि मान्यता. —इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व तैयार किए गए भू-अभिलेख तथा उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख इन नियमों में विहित प्ररूपों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक निरंतर मान्य बने रहेंगे।

अध्याय — तीन

भू-सर्वेक्षण

भाग —क प्रक्रिया

10. भू-सर्वेक्षण की अधिसूचनाएं. —(1) आयुक्त, भू-अभिलेख किसी तहसील अथवा उसके किसी भाग में भू-सर्वेक्षण प्रारंभ होने की अधिसूचना धारा 64 के अधीन प्ररूप—बारह में जारी करेगा जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएगी जब तक कि आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा नियम 28 के अधीन प्ररूप—तेरह में ऐसे भू-सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जो कि शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जारी न कर दी जाए।

11. भू-सर्वेक्षण के लिए कर्मी तथा एजेंसियां.—(1)आयुक्त, भू-अभिलेख जिला सर्वेक्षण अधिकारी को उतने कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध करवाएगा जितने कि वह भू-सर्वेक्षण संकियाओं का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे। जिला सर्वेक्षण अधिकारी इन कर्मियों को तथा जिले में पदस्थ ऐसे अन्य कर्मियों को जिन्हें कि वह उचित समझे ऐसी रीति में जैसी कि वह ठीक समझे, नियोजित कर सकेगा।

(2) आयुक्त, भू-अभिलेख के नियंत्रण में रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, भू-सर्वेक्षण संकियाओं में सहायता करने के लिए एक या अधिक एजेंसियों को लगा सकेगा।

12. भू-सर्वेक्षण कर्मी को नक्शे तथा भू-अभिलेखों का दिया जाना. —कलक्टर, भू-सर्वेक्षण के अधीन आने वाले क्षेत्रों के नक्शे तथा भू-अभिलेख जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर्मचारी को दिलवाएगा।
13. भू-सर्वेक्षण किए जाने की सीमा तथा रीति.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी, भू-सर्वेक्षण के अधीन आने वाले क्षेत्रों में उस सीमा तक तथा ऐसी रीति में जो कि आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा निदेशित की जाए, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण अथवा नक्शों में सुधार करेगा।
14. भू-सर्वेक्षण संकियाओं को प्रारम्भ करने की उद्घोषणा.— (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी भू-सर्वेक्षण के अधीन वाले क्षेत्र में सार्वजनिक जानकारी के लिए सर्वेक्षण संकियाओं के प्रारम्भ होने की उद्घोषणा प्ररूप-चौदह में जारी करेगा।
- (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 में विहित रीति में जारी की जाएगी और ऐसे क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसे अन्य माध्यमों से भी उद्घोषणा की जाएगी जिनका कि आयुक्त, भू-अभिलेख निदेश दे।
15. माप पुस्तिकाएं.— (1) भू-सर्वेक्षण संकियाओं के समस्त माप ऐसी माप पुस्तिकाओं में ऐसे स्वरूप में अभिलिखित किए जाएंगे तथा ऐसी कालावधि तक संरक्षित रखे जाएंगे जैसी कि आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशित करे।
- (2) अधीनस्थ सर्वेक्षण अमले द्वारा किए गए प्रारम्भिक मापों की, मापन कर्मचारीवृन्द के प्रभारी अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक, जैसी कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी निदेशित करे, जांच की जाएगी।
16. प्रारूप भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना.— जिला सर्वेक्षण अधिकारी पैमाइश के अनुसार अद्यतन किए गए विद्यमान भू-अभिलेखों तथा भू-सर्वेक्षण के दौरान किए गए अवलोकनों का उपयोग करते हुए प्रारूप भू-अभिलेख तैयार करेगा:
- परंतु यदि ऐसे कोई भू-अभिलेख उपलब्ध न हों तो इन्हें भू-सर्वेक्षण के दौरान लिए गए माप तथा किए गए अवलोकन के आधार पर तैयार किया जाएगा।
17. प्रारूप भू-अभिलेख का प्रकाशन तथा दावे व आपत्तियों का आमंत्रित किया जाना.—(1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रारूप अभिलेखों को प्ररूप-पंद्रह में एक उद्घोषणा के साथ प्रकाशित करेगा जिसमें हितबद्ध व्यक्ति से उद्घोषणा में यथावर्णित दिनांक को या उसके पूर्व जो कि उद्घोषणा के प्रकाशित होने की दिनांक से पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, उसके

समक्ष दावे तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, फाइल करने की अपेक्षा की जाएगी। यह उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 में विहित रीति में जारी की जाएगी तथा क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक ऐसे भूमिस्वामी तथा सरकारी पट्टेदार को जिसका नाम प्रारूप अधिकार अभिलेख में हो, यथास्थिति उसके खाते अथवा पट्टे से संबंधित प्रारूप अधिकार अभिलेख के उद्धरण तथा सुसंगत (संबंधित) नक्शों के साथ प्रारूप-सोलह में सूचना जारी करेगा तथा उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिनांक अथवा उसके पूर्व दावे तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, फाइल करने की उससे अपेक्षा की जाएगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन दी जाने वाली सूचना की तामीली मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-दो में समनों की/तामीली के लिए विहित रीति में करवाई जाएगी तथा प्रारूप-सत्रह में संधारित रजिस्टर में तामीली की अभिस्वीकृति ली जाएगी। संयुक्त खाते की दशा में धारकों में से किसी एक खातेदार को सूचना तामील करवाया जाना पर्याप्त होगा।

18. दावों और आपत्तियों की सुनवाई.—(1) कोई व्यक्ति जिसका प्रारूप भू-अभिलेखों में की किसी प्रविष्टि के बारे में विरोध है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा में दावे तथा आपत्तियां फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए अन्तिम दिनांक को अथवा उसके पूर्व प्रारूप-अठ्ठारह में अपने दावे तथा आपत्तियां फाइल कर सकेगा।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी किए गए दावों तथा आपत्तियों की ऐसी जांच कर सकेगा तथा भूमि के ऐसे माप ले सकेगा जिन्हें कि वह उचित समझे तथा प्रत्येक दावे तथा आपत्ति पर संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन आदेश पारित करेगा:

परन्तु किसी भी पक्षकार के विरुद्ध उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई दावा जिसमें धारा 109 के अधीन अधिकारों के अर्जन की सूचना हो अथवा धारा 178 या 178-क के अधीन खाते के विभाजन का आवेदन हो, इन कार्यवाहियों में विनिश्चित नहीं किया जाएगा किन्तु वह संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन पृथक् कार्यवाहियों में विनिश्चित किया जाएगा।

19. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इत्यादि द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाना.—भू-सर्वेक्षण के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी धारा 66 के उपबंधों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

20. अन्तिम भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, प्रकाशन और संरक्षण. —(1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी समस्त दावों और आपत्तियों को विनिश्चित करने के पश्चात् प्रारूप भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करेगा और अन्तिम भू-अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में तैयार करेगा।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी अन्तिम भू-अभिलेख प्रारूप-उन्नीस में सूचना के साथ ऐसी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जो कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा निदेशित की जाए।

(3) अन्तिम भू-अभिलेख, ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए, प्राधिकृत और संरक्षित किए जाएंगे।

21. लम्बित मामलों की सूची का तैयार किया जाना.—(1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् प्रारूप- बीस में उन समस्त मामलों की एक सूची तैयार करेगा जिनमें किसी न्यायालय का ऐसा निर्णय प्राप्त हुआ हो जो भू-अभिलेखों में की प्रविष्टियों को प्रभावित करता हो।

(2) जिला सर्वेक्षण अधिकारी अन्तिम भू-अभिलेख तैयार किए जाते समय अपने न्यायालय में लम्बित मामलों की सूची प्रारूप-इक्कीस में तैयार करेगा।

22. अन्तिम भू-अभिलेख, अन्य सर्वेक्षण अभिलेख तथा राजस्व मामलों का सौंपा जाना.— जिला सर्वेक्षण अधिकारी, कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को,—

(क) अन्तिम भू-अभिलेख;

(ख) अन्य सर्वेक्षण अभिलेख;

(ग) भू-सर्वेक्षण के दौरान उसके द्वारा विनिश्चित किए गए समस्त राजस्व मामलों की सूची तथा अभिलेख; और

(घ) नियम 21 के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन तैयार की गई मामलों की सूचियां व अभिलेख, सौंपेगा।

23. अन्तिम भू-अभिलेख की प्रतियों की उपलब्धता.—अन्तिम भू-अभिलेख की प्रतियां यथास्थिति जिला अभिलेखागार, तहसील अभिलेखागार में तथा सम्बन्धित पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक के पास रखी जाएंगी वे ऐसे अन्य कार्यालयों में अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों के पास भी रखी जाएंगी, जो कि संहिता अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित किए जाएं अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाए।
24. अन्य सर्वेक्षण अभिलेख तथा विनिश्चित किए गए राजस्व मामलों की अभिरक्षा.—अन्य सर्वेक्षण अभिलेख तथा विनिश्चित किए गए राजस्व मामलों के अभिलेख जिला अभिलेखागार अथवा तहसील अभिलेखागार में, जैसा कि कलक्टर द्वारा निदेशित किया जाए, रखे जाएंगे।
25. लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा.—कलक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को नियम 22 के अधीन प्राप्त लम्बित मामलों की सूची व अभिलेख आगामी कार्रवाई के लिए सक्षम राजस्व न्यायालय को भेजे जाएंगे।
26. सर्वेक्षण की कार्यवाहियों को पूर्ण किए जाने के लिए समय सीमा.—किसी ग्राम अथवा सेक्टर अथवा उसके किसी भाग का भू-सर्वेक्षण सामान्यतया नियम-14 के अधीन भू-सर्वेक्षण सक्रियाओं के प्रारंभ होने की उद्घोषणा के जारी होने की तारीख से आठ मास के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
27. विहित कालावधि में सर्वेक्षण पूर्ण न होने पर कार्रवाई का किया जाना.—जहां नियम 26 में विहित की गई कालावधि में भू-सर्वेक्षण पूर्ण नहीं किया गया हो वहां जिला सर्वेक्षण अधिकारी तथा आयुक्त भू-अभिलेख को मामले की रिपोर्ट दी जाएगी जो भू-सर्वेक्षण को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वे उचित समझें।
28. आयुक्त, भू-अभिलेख को रिपोर्ट तथा भू-सर्वेक्षण बन्द किए जाने की अधिसूचना का जारी किया जाना.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयुक्त, भू-अभिलेख प्ररूप-तेरह में भू-सर्वेक्षण बन्द करने की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।
29. भू-अधिकार पुस्तिका का तैयार किया जाना और उसका वितरण.—भू-सर्वेक्षण बन्द होने के पश्चात् प्रत्येक भूमिस्वामी को उसके खाते के लिए भू-अधिकार पुस्तिका निःशुल्क दी जाएगी। प्ररूप - बाईस में उन व्यक्तियों का अभिलेख संधारित किया जाएगा जिन्हें कि भू-अधिकार पुस्तिका दी गई है।

परन्तु संयुक्त खाते की दशा में केवल एक भू-अधिकार पुस्तिका तैयार की जाएगी और दी जाएगी।

भाग-ख
नक्शों का तैयार किया जाना

30. विशिष्टताओं का नक्शों पर दर्शाया जाना.— यथास्थिति, सर्वेक्षण, पुनःसर्वेक्षण अथवा नक्शों के शुद्धिकरण के अनुसार नक्शे तैयार किए जाएंगे और उन पर सर्वेक्षण अथवा नक्शों को शुद्ध करने की कार्यवाहियों के दौरान पाए गए सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक, सीमाएं, सीमा चिन्ह, सारैखिक, उप सारैखिक तथा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक ज्यामितीय भू-मापन के सम्बन्ध में माप बिन्दु तथा ऐसी स्थलाकृतिक विशिष्टताएं दर्शाई जाएंगी जिन्हें कि आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशित करे।

31. लगे हुए ग्रामों अथवा सेक्टरों की सीमा रेखाओं का मिलान किया जाना.—लगे हुए ग्रामों अथवा सेक्टरों की सीमा रेखाओं का मिलान किया जाएगा तथा ऐसे सर्वेक्षण के पश्चात् किसी गंभीर त्रुटि अथवा विसंगति को, जो आवश्यक हो, दूर किया जाएगा। इसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त सम्बन्धित ग्रामों अथवा सेक्टरों के नक्शों में ग्राम अथवा सेक्टर की सीमा रेखा को फॉस (पार) करने वाली स्थलाकृतिक विशिष्टताएं उसी स्थिति में दर्शा दी गई हैं।

32. मार्गों, नहरों तथा भूमि के अलग अलग भागों का नक्शे पर लाया जाना.—ऐसी भूमि के समस्त भागों का, जिसकी विशिष्टताएं अथवा स्वामित्व, लगी हुई, भूमि जैसे मार्गों, नहरों तथा रेलवे लाइन इत्यादि से अलग हैं, जो पूर्ववर्ती राजस्व सर्वेक्षण अथवा भू-सर्वेक्षण से अस्तित्व में आए हों, सर्वेक्षण किया जाएगा तथा उन्हें नक्शे पर लाया जाएगा।

33. जहां नक्शे में और फील्ड में आकार अथवा क्षेत्रफल एक समान नहीं हो.—जहां किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक का आकार अथवा क्षेत्रफल वैसा नहीं है जैसा कि वह नक्शे में है तो वहां सम्बन्धित पक्षकारों की सीमा के सम्बन्ध में बनी सहमति के अनुसार अथवा यथास्थिति सहायक सर्वेक्षण अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा अवधारित किए गए अनुसार नक्शे को शुद्ध किया जाएगा।

भाग-ग

सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं की विरचना;
विभाजन तथा सम्मेलन

34. भूमि का सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लाक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं में विभाजन-
-

(1) ग्राम अथवा सेक्टर की समस्त भूमि सर्वेक्षण संख्याओं तथा ब्लाक संख्याओं में विभाजित
की जाएगी।

(2) प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक,-

(क) धारा 59 के अधीन कृषिक प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कृषिक प्रयोजन के लिए दिए गए पट्टे के अधीन धारित भूमि;
और

(ग) सेवा भूमि;

में विरचित किया गया भूमि का संस्पर्शी भाग होगा।

(3) प्रत्येक ब्लाक संख्यांक,-

(क) धारा 59 के अधीन कृषिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कृषिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए पट्टे के
अधीन धारित भूमि;

(ग) आबादी भूमि अथवा ऐसी भूमि जो किसी नगरीय क्षेत्र के संघटक ग्राम की आबादी
रही हो; और

(घ) दखलरहित भूमि जिसमें धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए
पृथक् रखी गई भूमि अथवा धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी
गई भूमि सम्मिलित है, के रूप में विरचित भूमि;

का संस्पर्शी भाग होगा।

(4) प्रत्येक ब्लाक संख्यांक एक या एक से अधिक भू-खण्ड संख्याओं से मिलकर बनेगा और
एक भू-खण्ड संख्यांक एक से अधिक ब्लाक संख्यांक का भाग नहीं होगा।

(5) इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान समस्त सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक
तथा भू-खण्ड संख्यांक जब तक कि वे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उपांतरित अथवा

निरस्त नहीं कर दिए जाते, यथास्थिति सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक के रूप में मान्य बने रहेंगे।

35. भू-सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण संख्यांकों की विरचना.—(1) भू-सर्वेक्षण के दौरान, जिला सर्वेक्षण अधिकारी भूमि के ऐसे संपर्शी प्रत्येक भाग को एक पृथक् सर्वेक्षण संख्यांक देगा जो,—

(क) पृथक् स्वत्वाधिकार के अधीन धारित है तथा धारा 59 के अधीन कृषिक प्रयोजन के लिए निर्धारित है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कृषिक प्रयोजन के लिए दिए गए पृथक् पट्टे के अधीन धारित है; अथवा

(ग) सेवा भूमि है

और इस प्रयोजन के लिए विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को गान्ध कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को विभाजित अथवा समामेलित कर सकेगा या ब्लाक संख्यांकों अथवा उनके भाग को सर्वेक्षण संख्यांकों में संपरिवर्तित कर सकेगा।

(2) विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांक तब तक वैसे ही बने रहेंगे जब तक कि उन्हें पुनर्कर्मामकित किया जाना आवश्यक न समझा जाए, ऐसी दशा में उन्हें नए सिरे से पुनर्कर्मामकित किया जाएगा।

(3) 0.02 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का कोई नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित नहीं किया जाएगा।

(4) इस प्रकार बनाए रखे गए अथवा परिवर्तित किए गए संख्यांक, सर्वेक्षण संख्यांक कहलाएंगे।

36. भू-सर्वेक्षण के दौरान ब्लाक संख्यांकों की विरचना.—(1) भू-सर्वेक्षण के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी, नियम 34 के अध्याधीन रहते हुए कुछ आम विशिष्टताओं जैसे स्थान (परिक्षेत्र), भूमि उपयोग प्रशासनिक इकाई इत्यादि के आधार पर उतने ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा जितने कि वह ठीक समझे। इस प्रयोजन के लिए वह विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को विभाजित अथवा समामेलित कर सकेगा या सर्वेक्षण संख्यांकों अथवा उनके भाग को ब्लाक संख्यांकों में संपरिवर्तित कर सकेगा।

(2) विद्यमान ब्लाक संख्यांक तब तक वैसे ही बने रहेंगे जब तक कि उन्हें पुनर्कामांकित किया जाना आवश्यक न समझा जाए, ऐसी दशा में उन्हें नए सिरे से पुनर्कामांकित किया जाएगा।

(3) इस प्रकार बनाए रखे गए अथवा परिवर्तित किए गए संख्यांक ब्लाक संख्यांक कहलाएंगे।

37. भू-सर्वेक्षण के दौरान भू-खण्ड संख्यांकों की विरचना.—(1) भू-सर्वेक्षण के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी ब्लाक संख्यांक के भीतर ऐसी भूमि से संस्पर्शी प्रत्येक भाग को एक पृथक् भू-खण्ड संख्यांक देगा जो—

(क) पृथक् स्वत्वाधिकार के अधीन धारित है तथा धारा 59 के अधीन कृषिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए निर्धारित है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कृषिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए पृथक् पट्टे के अधीन धारित है;

(ग) आबादी के भीतर भू-खण्ड के रूप में मान्य है जिसमें मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के अधीन तैयार किए गए विन्यास (ले आउट) के भू-खण्ड भी सम्मिलित हैं; अथवा

(घ) पृथक् शीर्ष के अधीन वर्गीकृत दखलरहित भूमि अथवा धारा 237 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किराी सुभिन्न प्रयोजन के लिए अथवा धारा 233-क के अधीन किसी सुभिन्न लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि है।

स्पष्टीकरण.—एक—यदि उपरोक्त खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में एक से अधिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि धारित है जिसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जा सकता हो, तो ऐसे प्रत्येक प्रयोजन के लिए पृथक्-पृथक् भू-खण्ड संख्यांक विरचित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—दो—सार्वजनिक भूमि जैसे मार्ग, उद्यान, आबादी में खुले स्थान, सार्वजनिक भवन तथा परिसर, नाले, नदियां, तालाब, छोटी पहाड़ियां तथा दखलरहित भूमि में रिक्त स्थानों में उतनी संख्या में भू-खण्ड विरचित किए जाएंगे जितनी कि आवश्यक हो।

(2) विन्यास (ले आउट) अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर सर्वेक्षण के अधीन भूमि के अनुमोदित विन्यास (ले आउट) की प्रतियां उसे प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार अनुमोदित विन्यास (ले आउट) के भू-खण्ड संहिता के अधीन भू-खण्ड संख्यांक समझे जाएंगे और ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उनके विन्यास (ले आउट) में कोई परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा:

परंतु यदि ऐसा प्राधिकारी मांग किए जाने से तीस दिन के भीतर अनुमोदित विन्यास (ले आउट) की प्रतियां प्रस्तुत नहीं करता है तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति

द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए विन्यास (ले आउट) के भू-खण्डों को मान्य कर सकेगा अथवा ऐसे भू-खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) विद्यमान भू-खण्ड संख्यांक तब तक वैसे ही बने रहेंगे जब तक कि उन्हें पुनर्क्रमांकित किया जाना आवश्यक न समझा जाए, ऐसी दशा में उन्हें नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किया जाएगा।

(4) सुसंगत भू-नियोजन विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए 9 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाला कोई नवीन भू-खण्ड संख्यांक विरचित नहीं किया जायेगा।

(5) इस प्रकार बनाए रखे गए अथवा परिवर्तित किए गए संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक कहलाएंगे।

38. भू-सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांकों तथा भू-खण्ड संख्यांकों का क्रमांकित किया जाना. —(1) भू-सर्वेक्षण के दौरान ग्राम अथवा सेक्टर के समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉक संख्यांकों को अनन्य (यूनिक) संख्यांक दिए जाएंगे।

(2) प्रत्येक भू-खण्ड संख्यांक दो भागों से बना संयुक्त संख्यांक होगा जिसमें प्रथम भाग ब्लॉक संख्यांक होगा जिससे कि भू-खण्ड संख्यांक संबंधित है तथा दूसरा भाग अनन्य (यूनिक) संख्यांक होगा।

39. जलोढ़ भूमि. —(1) यदि जलोढ़ भूमि का क्षेत्र आधे हेक्टेयर से अधिक नहीं है तो पश्चात्पूर्वी भू-सर्वेक्षण होने तक उसको लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक के एक उप-विभाजन के रूप में रखा जाएगा और लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक का भूमिस्वामी धारा 203 के उपबंधों के अनुसार ऐसी जलोढ़ भूमि का उपयोग करने का हकदार होगा। पश्चात्पूर्वी भू-सर्वेक्षण में उक्त उप-विभाजन को लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक के साथ समामेलित किया जाएगा।

(2) यदि जलोढ़ भूमि का क्षेत्र आधे हेक्टेयर से अधिक है तो इसको एक नवीन सर्वेक्षण संख्यांक दिया जाएगा और ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।

40. जब क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन न हो, सर्वेक्षण संख्यांकों की विरचना, विभाजन तथा समामेलन. —(1) जब कोई क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है तो कलक्टर, पूर्वगामी नियमों के अनुसार सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को विभाजित अथवा समामेलित कर सकेगा अथवा ब्लॉक संख्यांकों अथवा उनके भाग को सर्वेक्षण संख्यांकों में संपरिवर्तित कर सकेगा।

- (2) कोई नवीन सर्वेक्षण संख्यांक 0.02 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का विरचित नहीं किया जाएगा।
- (3) दो अथवा अधिक संस्पर्शी सर्वेक्षण संख्यांकों को समामेलित किया जा सकेगा बशर्त प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के भूधृति धारी समान हों।
- (4) ऐसे पुनर्गठित, विरचित, विभाजित अथवा समामेलित सर्वेक्षण संख्यांकों को अनन्य (यूनिक) संख्यांक दिए जाएंगे। पश्चात्वर्ती भू-सर्वेक्षण में इन सर्वेक्षण संख्यांकों को नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु पुराने सर्वेक्षण संख्यांक अथवा ब्लॉक संख्यांक खसरे से काटे नहीं जाएंगे किन्तु बिना क्षेत्र के तथा नवीन सर्वेक्षण संख्यांकों के प्रतिनिर्देश सहित दर्शाए जाएंगे तथा पश्चात्वर्ती भू-सर्वेक्षण के दौरान समाप्त कर दिए जाएंगे।

- (5) कोई सर्वेक्षण संख्यांक ग्राम अथवा सेक्टर के क्षेत्र का भाग न रह जाने पर ही निरस्त किया जा सकेगा।

41. जब क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन न हो, ब्लॉक संख्यांकों की विरचना, विभाजन तथा समामेलन. —(1) जब कोई क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है तो कलक्टर, पूर्वगामी नियमों के अनुसार ब्लॉक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन ब्लॉक संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान ब्लॉक संख्यांकों को विभाजित अथवा समामेलित कर सकेगा अथवा सर्वेक्षण संख्यांकों अथवा उनके भाग को ब्लॉक संख्यांकों में संपरिवर्तित कर सकेगा।

- (2) कोई भी ब्लॉक संख्यांक इस प्रकार विभाजित नहीं किया जाएगा जिससे एक भू-खण्ड एक से अधिक ब्लॉक संख्यांकों में आए।

- (3) दो या दो से अधिक ब्लॉक संख्यांक यदि वे संस्पर्शी हों, समामेलित किए जा सकेंगे।

- (4) ऐसे पुनर्गठित, विरचित, विभाजित या समामेलित ब्लॉक संख्यांकों को अनन्य (यूनिक) संख्यांक दिए जाएंगे। पश्चात्वर्ती भू-सर्वेक्षण में इन ब्लॉक संख्यांकों को नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किया जाएगा:

परन्तु पुराने ब्लॉक संख्यांक अथवा सर्वेक्षण संख्यांक खसरे से काटे नहीं जाएंगे किन्तु बिना क्षेत्र के तथा नवीन ब्लॉक संख्यांकों के प्रतिनिर्देश सहित दर्शाए जाएंगे तथा पश्चात्वर्ती भू-सर्वेक्षण के दौरान समाप्त कर दिए जाएंगे।

- (5) कोई ब्लॉक संख्यांक ग्राम अथवा सेक्टर के क्षेत्र का भाग न रह जाने पर ही निरस्त किया जा सकेगा।

42. जब क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन न हो, भू-खण्ड संख्याओं की विरचना, विभाजन तथा सामामेलन. —(1) जब कोई क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन नहीं है तो कलक्टर, पूर्वगामी नियमों के अनुसार भू-खण्ड संख्याओं को विन्यास (ले आउट) अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार पुनर्गठित कर सकेगा, नवीन भू-खण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्याओं को विभाजित अथवा सामामेलित कर सकेगा।

(2) ऐसे पुनर्गठित, विरचित, विभाजित अथवा सामामेलित भू-खण्ड संख्याओं को अनन्य (यूनिक) संख्यांक दिए जाएंगे। पश्चात्पूर्ती भू-सर्वेक्षण में इन भू-खण्ड संख्याओं को नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु पुराने भू-खण्ड संख्यांक भू-अभिलेख से काटे नहीं जाएंगे किन्तु बिना क्षेत्र के तथा नवीन भू-खण्ड संख्याओं के प्रतिनिर्देश सहित दर्शाए जाएंगे तथा पश्चात्पूर्ती भू-सर्वेक्षण के दौरान समाप्त कर दिए जाएंगे।

भाग - घ

ग्रामों तथा सेक्टरों की विरचना, सामामेलन तथा विभाजन

43. ग्रामों की विरचना, सामामेलन तथा विभाजन.—(1) किसी नगरेतर क्षेत्र में स्थित सर्वेक्षण संख्याओं तथा ब्लॉक संख्याओं के समूह को ऐसा ग्राम विरचित करने के लिए समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें -

- (क) केवल एक ग्राम स्थल अथवा आबादी हो अथवा यदि एक से अधिक ऐसे आबादी स्थल हों जो एक दूसरे के निकट स्थित हों;
 - (ख) ऐसे समस्त क्षेत्र के कृषकों द्वारा जिसे कि ग्राम के रूप में गठित किया जाना है, दखलरहित भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का साझा उपयोग किया जाता हो;
 - (ग) ग्राम का क्षेत्रफल आठ सौ हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सिवाय तब के जब कि इसके परिणामस्वरूप किसी अन्य ग्राम का क्षेत्र अस्सी हेक्टेयर से कम हो रहा हो।
- (2) दो या दो से अधिक ग्रामों को सामामेलित किया जा सकेगा बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती हो -

(क) वे लगे हुए तथा संस्पर्शी हों;

(ख) ग्राम स्थल अथवा आबादियां लगी हुई हों अथवा केवल एक ग्राम स्थल या आबादी हो तथा अन्य वीरान ग्राम हो;

(ग) दखलरहित भूमि पर ग्राम के समस्त कृषक सामुदायिक अधिकारों का साझा उपयोग करते हों; और

(घ) समामेलन के पश्चात् विरचित नवीन ग्राम का क्षेत्रफल साधारणतया आठ सौ हेक्टेयर से अधिक न हो।

(3) किसी ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित किया जा सकेगा बशर्ते निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तों की पूर्ति हो जाती हो, अर्थात्:-

(क) एकल इकाई के रूप में सुविधापूर्वक प्रबंध करने की दृष्टि से विद्यमान ग्राम का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो;

(ख) अलग अलग तथा सुभिन्न इकाईयों में स्थित दखलरहित भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा हो;

(ग) किसी ऐसे विद्यमान ग्राम की दशा में जो भागतः अथवा पूर्णतः पुराने वीरान ग्रामों से मिलकर बना हो, इनमें से एक या अधिक तब से स्थिर आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित हो गए हों; और

(घ) इसी प्रकार के अन्य कारण हों:

परन्तु किसी ग्राम का इस प्रकार कोई विभाजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसा ग्राम विरचित हो जहां निम्नलिखित में से कोई स्थिति बनती हो-

(क) अरसी हेक्टेयर से कम क्षेत्र;

(ख) पिछली जनगणना के आधार पर दो सौ से कम जनसंख्या; अथवा

(ग) नवीन और पुराने ग्रामों की आबादियों के बीच दो किलोमीटर से कम की दूरी।

(4) इस प्रकार समामेलन अथवा विभाजन के पश्चात् नवीन विरचित प्रत्येक ग्राम के समस्त सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किए जाएंगे तथा भू-अभिलेखों के नए सेट तैयार किए जाएंगे। ऐसा समामेलन अथवा विभाजन आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगा।

44. सेक्टर का नगरेतर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित होना. -यदि नगरीय क्षेत्र अथवा उसके भाग का कोई सेक्टर नगरेतर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो यह एक ग्राम के रूप में विरचित होगा। ऐसे सेक्टर अथवा उसके भाग के भू-अभिलेख नवीन विरचित ग्राम के भू-अभिलेख होंगे। उपखण्ड अधिकारी धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक्

रखी गई भूमि, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए धारा 234 के अधीन ऐसे ग्राम के लिए निस्तार पत्रक तैयार करेगा।

45. सेक्टरों की विरचना, समामेलन तथा विभाजन. —(1) किसी नगरीयक्षेत्र में स्थित निकटवर्ती सर्वेक्षण संख्याओं, ब्लॉक संख्याओं तथा भू-खण्ड संख्याओं के समूह को सेक्टर विरचित करने के लिए समूहीकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सेक्टर सामान्यतया इस प्रकार विरचित किया जाएगा जिससे कि वह नगरीय स्थानीय निकाय के एक या अधिक वार्डों का सह विस्तारी हो। तथापि, यदि किसी कारण से यह संभव न हो तो सेक्टरों की विरचना में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा—

(क) स्थानीय नगरीय निकायों के वार्डों की सीमाएं;

(ख) भू-भाग की स्थायी अथवा महत्वपूर्ण विशिष्टताएं जैसे जल निकाय, पहाड़, सड़कें, नहरें इत्यादि; और

(ग) सेक्टर का क्षेत्रफल, जो 40 से 200 हेक्टेयर के बीच होना चाहिए।

(3) दो या अधिक सेक्टरों को उनके भाग के रूप में नवीन अभिलेख विरचित करने के लिए समामेलित किया जा सकेगा अथवा किसी सेक्टर को दो या अधिक सेक्टरों में विभाजित किया जा सकेगा। इस प्रकार समामेलन अथवा विभाजन हो जाने पर प्रत्येक नवीन विरचित सेक्टर के समस्त सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक नए सिरे से पुनर्क्रमांकित किए जाएंगे तथा भू-अभिलेखों के नए सेट तैयार किए जाएंगे। ऐसा समामेलन अथवा विभाजन आगामी राजस्व वर्ष के प्रारम्भ से प्रभावी होगा।

भाग - ड

भू-सर्वेक्षण के अन्य उपबंध

46. समस्त भूमियों का निर्धारण.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर भू-सर्वेक्षण विस्तारित होता है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार निर्धारण करेगा चाहे, ऐसी भूमियां भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों।

47. भू-नियोजन विधि के उल्लंघन में भूमि का विकास. —इन नियमों के अधीन भू-अभिलेख तैयार करने तथा उन्हें अद्यतन करने का उद्देश्य एक डाटाबेस तैयार करना व उसका अनुरक्षण करना है जो फील्ड की वास्तविक स्थिति का रूपण कर सके। अतःएव जिला सर्वेक्षण अधिकारी, कलक्टर, किसी अन्य राजस्व अधिकारी अथवा इन नियमों के अधीन उनके अनुदेशों के अनुसार कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा की गई कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भू-नियोजन विधि के किसी उल्लंघन को माफ नहीं करेगी और न ही ऐसा उल्लंघन माफ कर दिया गया समझा जाएगा।

अध्याय - चार
सीमाएं तथा सीमा चिन्ह

48. नक्शे तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने में सहायता की अभ्यपेक्षा.—किसी राजस्वअधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक अथवा पटवारी द्वारा भूमि वं किसी धारक तथा आबादी में किसी धारक को धारा 120 के अधीन जारी नोटिस प्ररूप-तेईस में होगा और उसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिसको कि नोटिसग्रहीता से स्थल पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए। यदि नियत दिनांक को नोटिसग्रहीता उपस्थित नहीं होता है तो राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक अथवा पटवारी मामले में एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

49. ग्राम की सीमाओं का सीमांकन. —(1) किसी ग्राम की सीमाओं का कम से कम 10 सीमा चिन्हों से सीमांकन किया जाएगा जिनकी विशिष्टियां अनुसूची-एक में दिए गए अनुसार होंगी।

(2) धारा 124 की उपधारा (2) के अधीन नियत सीमा चिन्हों की विशिष्टियां अनुसूची-एक में दिए गए अनुसार होंगी।

(3) आयुक्त, भू-अभिलेख, समय समय पर सीमा चिन्हों का स्थान निर्धारित करने, उन्हें नियत करने तथा उनके अनुरक्षण के लिए निर्देश जारी कर सकेगा।

50. धारक की भूमि और दखलरहित भूमि के बीच सीमा चिन्ह. —किसी धारक की भूमि और दखलरहित भूमि के बीच की सीमा को धारा 127 के अधीन पत्थर लगा कर अथवा वृक्षारोपण किया जाकर सीमांकित किया जाएगा। दखलरहित भूमि से लगी हुई निजी भूमि पर पत्थर लगाए जाएंगे अथवा वृक्षारोपण किया जाएगा। पत्थरों की विशिष्टियां अनुसूची-एक में दिए गए अनुसार होंगे।

51. धारा 135 के अधीन आदेश के प्रकाशन की रीति. —(1) धारा 135 की उपधारा (1) अधीन कलकटर द्वारा पारित आदेश निम्नलिखित रीति में प्रकाशित किया जाएगा :—

(एक) इसकी एक प्रति ग्राम में लोक समागम के किसी स्थान पर चस्पा की जाएगी;

(दो) इसे ग्राम में डुग्गी पीट कर उद्घोषित किया जाएगा; और

(तीन) इसकी एक प्रति अर्जन से प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(2) आदेश की एक प्रति तहसीलदार को भेजी जाएगी जो सम्बन्धित भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करवाएगा।

अध्याय - पांच

पटवारी, नगर सर्वेक्षक तथा राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य

भाग क

पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक के कर्तव्य

52. इस भाग में पद 'पटवारी' में नगर सर्वेक्षक सम्मिलित है।

53. दैनिक डायरी तथा मासिक रिपोर्ट. -(1) प्रत्येक पटवारी एक दैनिक डायरी संधारित करेगा और ऐसे प्ररूप में जो कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा समय समय पर विहित किया जाए मासिक रिपोर्ट भेजेगा। जिसमें वह अपने कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन की घटनाओं की प्रविष्टि करेगा।

(2) पटवारी अपनी दैनिक डायरी तथा मासिक रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित करेगा।

54. अभिलेखों का अच्छी स्थिति में रखा जाना. -पटवारी, उसे सौंपे गए भू-अभिलेखों की समस्त प्रतियों को तथा किसी अभिलेख को जिसमें डिजिटल अभिलेख (ई-बस्ता) सम्मिलित है, जिसे कि रखने के लिए उससे इन नियमों अथवा उनके अधीन व्याख्यात्मक अनुदेशों के अधीन अपेक्षित किया जाए अथवा जो राजस्व अधिकारियों द्वारा उसके प्रभार में दिए जाएं, सुरक्षित व अच्छी दशा में रखेगा।

55. हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण. -पटवारी, उसकी अभिरक्षा में के किन्हीं ऐसे अभिलेखों का, जिसमें अधिकार अभिलेख सम्मिलित हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उसमें हित हो, निरीक्षण करने की तथा उसकी हस्तलिखित प्रतियां व टीप लेने की तथा नियम 93 के अधीन यथाउपबंधित कैमरे का उपयोग करते हुए फोटोग्राफ लेने की अनुमति देगा।

56. तहसीलदार के आदेश पर भू-अभिलेखों की प्रतियों का भेजा जाना.—पटवारी, जब तहसीलदार द्वारा ऐसा आदेश किया जाए, अपनी अभिरक्षा में के भू-अभिलेखों की प्रतियां तैयार करेगा उन्हें सत्यापित करेगा तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा तहसील के भृत्य से भेजेगा।

57. विशिष्ट घटनाओं की रिपोर्ट. —(1) पटवारी, तहसीलदार को निम्नलिखित घटनाओं की रिपोर्ट लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में तत्परता के साथ भेजेगा—

- (क) किसी भूमिस्वामी की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप वह खाता राजगामी हो जाए;
- (ख) कोटवारों अथवा पटेलों की मृत्यु अथवा उनमें परिवर्तन तथा कोटवारों अथवा पटेलों की उनके कर्तव्य से लम्बे समय तक अथवा स्थायी अनुपस्थिति;
- (ग) आबादी, सेवा भूमि, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि, वाजिब-उल-अर्ज, धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि, लोक मार्ग, राजस्व वन अथवा किसी अन्य दखलरहित भूमि पर अथवा किसी अन्य भूमि पर, जो कि सरकार अथवा किसी प्राधिकरण, निगमित निकाय अथवा राज्य के किसी अधिनियमन के अधीन गठित अथवा स्थापित संस्था की हो अथवा कलक्टर द्वारा प्रबन्धित धार्मिक सत्ता से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण;
- (घ) उन शर्तों का उल्लंघन जिनके अधीन राज्य सरकार से कोई अनुदान अथवा भूमि का पट्टा लिया गया है;
- (ङ) सीमा अथवा सर्वेक्षण चिन्हों का नष्ट होना अथवा उनका खराब होना तथा ग्राम की सीमाओं में परिवर्तन;
- (च) फसलों की स्थिति;
- (छ) निस्तार पत्रक अथवा वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित किसी अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में कोई बाधा;
- (ज) भूमिस्वामी द्वारा भूमि का परित्याग कर दिया जाना;
- (झ) बाढ़ की मिट्टी, रेत जमा हो जाने अथवा जल भराव के कारण कृषि भूमि का स्थायी रूप से हास;

(ज) उस जल आपूर्ति का स्थायी रूप से अनुपयोगी हो जाना जिससे भूमि की सिंचाई होती है;

(ट) कृषिक भूमि तथा आबादी भूमि का उस प्रयोजन से, जिसके कि लिए वह पृथक् रखी गई थी, भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन तथा बाद में एक गैर कृषिक प्रयोजन से दूसरे गैर-कृषिक प्रयोजन में व्यपवर्तन।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन अतिक्रमणों की रिपोर्ट करने के प्रयोजन से पटवारी प्ररूप-चौबीस में अतिक्रमणों का एक रजिस्टर संधारित करेगा। वह उसके द्वारा पता लगाए गए प्रत्येक अतिक्रमण का मानदण्डों के अनुसार एक संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा और अतिक्रमण रिपोर्ट के साथ उसे तहसीलदार को भेजेगा। वह उसके द्वारा रिपोर्ट किए गए अतिक्रमण के मामलों में राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिए जाने से सम्बन्धित सूचना के प्राप्त होने पर रजिस्टर के संबंधित कॉलमों की पूर्ति करेगा।

58. तत्काल रिपोर्ट.—पटवारी, तहसीलदार को निम्नलिखित घटनाओं की रिपोर्ट लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में तत्काल भेजेगा, —

(क) किसी आपदा की जैसे ओलावृष्टि, टिड्डियां, पाला, आग, बाढ़, मनुष्य अथवा पशुओं में महामारी अथवा किसी भी कारण से फसलों का नष्ट होना;

(ख) धारा 240 तथा 241 के अधीन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन;

(ग) किसी खदान से विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों को निकालना या हटाना।

स्पष्टीकरण.— खनिजों में कोई ऐसी रेत या मिट्टी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार वाणिज्यिक मूल्य की अथवा किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक घोषित करे। विक्रय के लिए उत्खनित न किए गए ऐसे पत्थरों पर, जो — (क) कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए अथवा अन्य कृषि-कार्य के लिए या (ख) कृषकों के निवास गृहों के निर्माण अथवा उनमें सुधार के लिए आवश्यक हों, कोई स्वत्व शुल्क (रॉयल्टी) वसूल नहीं किया जाता है।

59. भूमि में अधिकार के अर्जन के बारे में सूचना.—पटवारी भूमि में अधिकारों अथवा हितों के अर्जन की रिपोर्टों का एक रजिस्टर संधारित करेगा तथा धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन भू-अभिलेखों में नामान्तरण के लिए किसी अधिकार अथवा हित के अर्जन की प्रज्ञापना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामान्तरण) नियम, 2018 में विहित प्ररूपों तथा रीति में, तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

60. सिवाय आमदनी का रजिस्टर.—पटवारी, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में सिवाय आमदनी का एक रजिस्टर संधारित करेगा। वह प्रत्येक वर्ष 30 जून के पूर्व तहसीलदार को प्रत्येक भू-खण्ड से होने वाली आमदनी की संभावित राशि बताते हुए सिवाय आमदनी के स्रोतों की रिपोर्ट करेगा।

61. सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा रिपोर्ट.—पटवारी राजस्व अधिकारी के आदेश पर सर्वेक्षण करेगा, क्षेत्र निरीक्षण करेगा तथा फसलों को अभिलेखबद्ध करेगा, नक्शों अथवा भाटक या राजस्व से संबंधित रिपोर्टों अथवा खेती की परिस्थितियों का निरीक्षण तथा पुनरीक्षण करेगा।

62. कलक्टर के आदेशों का अनुपालन.—कलक्टर द्वारा जब आदेशित किया जाए, पटवारी,—
(एक) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा अपने हल्के में अभाव तथा अकाल संबंधी कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियां तथा ब्यौरे तैयार करेगा और उन्हें प्रस्तुत करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं; और

(दो) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कलक्टर द्वारा निदेशित किए जाएं।

63. राजस्व अधिकारी द्वारा आदेशित कर्तव्य.—पटवारी, जब राजस्व अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाए,—

(क) भू-अर्जन के लिए देय मुआवजे के निर्धारण;

(ख) अभ्यास शिविरों अथवा अन्य सैन्य युद्धाभ्यासों द्वारा फसलों को हुई क्षति; अथवा

(ग) किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष लंबित किसी राजस्व मामले के सम्बन्ध में;

रिपोर्ट, ब्यौरे, विवरणियां अथवा सूचियां तैयार करेगा।

64. फसलों के मूल्य, मजदूरी तथा फुटकर ग्रामीण मूल्यों की विवरणियां तैयार करना.—चयनित केन्द्रों के पटवारी कृषि (उपज) मूल्यों के साप्ताहिक विवरण तथा कृषि मजदूरी तथा ग्रामीण फुटकर मूल्यों की मासिक विवरणियां तैयार करेंगे। वे फसल कटाई के सर्वेक्षण के लिए चयनित ग्रामों के भूमि उपयोग के ब्यौरे भी तैयार करेंगे। विवरणियां तथा ब्यौरे आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

भाग-ख
राजस्व निरीक्षक के कर्तव्य

65. पटवारियों के कार्य का अधीक्षण.—राजस्व निरीक्षक, अपने वृत्त के पटवारियों के कार्य के निरीक्षण तथा अधीक्षण के लिए तथा उनके बीच व्यापक अनुशासन लागू करने के प्रति उत्तरदायी होगा। वह आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बिना पूर्व सूचना दिए यदृच्छा छांटे गए ग्रामों में पटवारियों के कार्य का निरीक्षण भी करेगा।

66. पटवारियों का अनुदेश.—राजस्व निरीक्षक अपने वृत्त के पटवारियों को सर्वेक्षण करने, नक्शा बनाने, क्षेत्रफल निकालने तथा पटवारी नियमों और अनुदेशों की हिदायतें देने के लिए उत्तरदायी होगा।

67. पटवारी द्वारा भू-अभिलेखों तथा उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेखों का यथार्थ रूप में तैयार किया जाना व उनका संधारण.—राजस्व निरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने वृत्त के पटवारियों से ग्रामों के भू-अभिलेख तथा उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख तथा कृषि उपज के मूल्य तथा ग्रामीण और कृषि विषयक मजदूरी तथा ग्रामीण फुटकर मूल्यों के लेखे यथार्थरूप में तैयार कराये तथा रखवाये। वह विशेषतः आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों में विहित रीति अनुसार नियमित रूप से मिलान तथा जांच करके क्षेत्र के अभिलेखों को तैयार किये जाने में उनका यथार्थताहोना सुनिश्चित करेगा।

68. पटवारियों द्वारा उनके अन्य कर्तव्यों के पालन के विषय में उत्तरदायित्व.—राजस्व निरीक्षक का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उसके वृत्त के पटवारी उन पर संहिता की धारा 104 की उपधारा (2) तथा उसके अंतर्गत स्पष्टीकरणकारक अनुदेशों द्वारा आरोपित अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। विशेषतः उसे यह देखना चाहिए कि उसके अधीनस्थ पटवारीगण उन पंजियों का सावधानी से तथा पूर्ण रूप से मिलान करते हैं जो पटेल और कोटवार रखते हैं, वे स्पष्ट और शुद्ध प्रविष्टियाँ करते हैं और वे उक्त मिलान करते समय ज्ञात हुए अंतरों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं।

69. ट्रावर्स तथा सीमा चिन्हों इत्यादि में समुचित मरम्मत.— राजस्व निरीक्षक को यह देखना चाहिए कि उसके वृत्त के सभी ग्रामों में समस्त ट्रावर्स स्टेशन, सीमा चिन्ह, सर्वेक्षण चिन्ह तथा ट्राई जंक्शन पिलर साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक समूह नियंत्रक बिन्दुओं की समुचित मरम्मत की गई है। वह तहसीलदार को उन समस्त अवसरों की, जबकि मरम्मत

में उपेक्षा की गई हो तथा चिन्हों इत्यादि के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नामों की रिपोर्ट करेगा।

70. पटवारीहल्कों का भ्रमण.— (1) राजस्व निरीक्षक अपने प्रभार में के प्रत्येक पटवारी हल्के का मास में एक बार भ्रमण करेगा।

(2) राजस्व निरीक्षक डिजिटल अभिलेखों की नियत अवधि पर जांच करेगा तथा पटवारियों द्वारा उन्हें अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेगा तथा तहसीलदार व भू-अभिलेख अधीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा।

71. डायरी का संघारण.— राजस्व निरीक्षक, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि आयुक्त, भू अभिलेख द्वारा समय समय पर विहित किया जाए, एक डायरी संघारित करेगा।

72. फसलों, वर्षा, पशुओं में बीमारियों के प्रकोप इत्यादि के बारे में तहसीलदार को रिपोर्ट.—

(1) राजस्व निरीक्षक, जब वैसा करने को कहा जाए, तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा विहित किया जाए, फसलों, वर्षा, खाद्यानों तथा पशुओं के चारे के मूल्यों की स्थिति तथा अपने वृत्त के लोगों की परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट की एक प्रति भू-अभिलेख अधीक्षक को भी भेजी जाएगी।

(2) किसी आपदा के घटित होने, पशुओं में महामारी फैलने या लोगों फसलों, अथवा पशुओं की दशा को असामान्य रूप से प्रभावित करने वाली बात की तत्काल तहसीलदार को रिपोर्ट दी जायेगी।

(3) राजस्व निरीक्षक, किसी जल आपूर्ति के, जिससे कि भूमि की सिंचाई होती है, स्थायी रूप से अनुपयोगी होने की तथा बाढ़ की मिट्टी, रेत जमा हो जाने अथवा जल भराव के कारण किसी भूमि के स्थायी हास की रिपोर्ट तहसीलदार को देगा।

73. फसल कटाई प्रयोग.— राजस्व निरीक्षक प्रतिवर्ष आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा यथाविहित आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए फसल कटाई प्रयोग करेगा।

74. राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वेक्षण किया जाना.—राजस्व निरीक्षक, जब भी उससे किसी राजस्व अधिकारी द्वारा वैसा करने की अपेक्षा की जाए, कोई सर्वेक्षण अथवा पैमाइश करेगा अथवा नक्शे तैयार करेगा अथवा इन नियमों के अधीन विहित किन्हीं सर्वेक्षण संक्रियाओं का अधीक्षण करेगा।

75. स्थानीय जांच— राजस्व निरीक्षक, जब उससे किसी राजस्व अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जाए, ग्राम अभिलेखों में की प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करेगा और भूमि या कृषि के विषय में जानकारी एकत्रित करेगा:

परंतु कलक्टर की अनुमति के बिना उसे ऐसी जांच करने को नहीं कहा जाएगा जो सिविल न्यायालय की आदेश द्वारा सामान्यतः आयोग (कमीशन) से कराई जाती है।

76. उपज का पूर्वानुमान तथा कृषि मूल्यों के विवरण का प्रस्तुत किया जाना. - राजस्व निरीक्षक, ऐसे दिनांकों को और ऐसे प्ररूप में ऐसी उपजों के लिए जो समय समय पर आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा विहित की जाएं, उसके प्रभार की उपज के पूर्वानुमान तथा कृषि मूल्यों का विवरण यर्थाथ व नियत समय पर भू-अभिलेख अधीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

77. कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन के मामलों का पता लगाना व उनकी रिपोर्ट की जाना. - राजस्व निरीक्षक, कृषि भूमि तथा आबादी भूमि के उस प्रयोजन से, जिसके कि लिए वह अलग रखी गई थी, किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए व्यपवर्तन के प्रत्येक मामले का तथा बाद में एक गैर-कृषि प्रयोजन से दूसरे गैर-कृषि प्रयोजन में व्यपवर्तन का पता लगाने तथा तहसीलदार को उसकी रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होगा।

78. नक्शों और रजिस्ट्रों की जांच.-राजस्व निरीक्षक, आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा विहित की गई रीति में तैयार किए गए आबादी के नक्शों की जांच करेगा। वह विहित रीति में पटवारी निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध भू-खण्डों तथा आरक्षित भू-खण्डों के खुले स्थानों के विन्यास (ले-आउट) के पटवारी द्वारा विहित रीति में तैयार किए गए डिजीटल रजिस्ट्रों की भी जांच करेगा।

79. भूमि का मापन तथा सीमा चिन्ह लगाया जाना. -राजस्व निरीक्षक, जब तहसीलदार द्वारा उसे वैसा करने के लिए आदेश दिया जाए, सर्वेक्षण संख्यांक अथवा ब्लॉक संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक अथवा उनके उप विभाजन का मापन करेगा तथा उन पर सीमा चिन्ह भी लगवाएगा।

80. रिपोर्ट का मिलान किया जाना. -राजस्व निरीक्षक, गिरदावरी निरीक्षण के दौरान जलोढ़ अथवा जलप्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के संबंध में पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच करेगा।

81. भू-अभिलेखों से भिन्न कार्य पर राजस्व निरीक्षक को लगाए जाने हेतु पूर्व अनुमति का लिया जाना. — (1) राजस्व निरीक्षक को उन कर्तव्यों से भिन्न किसी कर्तव्य पर नहीं लगाया जाएगा जो इन नियमों में विहित किए गए हों अथवा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अन्य नियमों के अधीन उसे सौंपे गए हों, और उरो आयुक्त, भू-अभिलेख की अनुमति के बिना उसके विहित कार्य से नहीं हटाया जाएगा।

(2) किसी ऐसी आपात स्थिति में, जब आयुक्त, भू-अभिलेख की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना व्यवहार्य न हो, कलक्टर ऐसी अनुमति दे सकेगा और इस बात की आयुक्त, भू-अभिलेख को तत्काल रिपोर्ट देगा।

82. राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेशित कर्तव्य. — राजस्व निरीक्षक, जब राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश किया जाए, ऐसे विवरण, विवरणी अथवा सूचियां तैयार करेगा अथवा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कलक्टर द्वारा निदेशित किए जाएं।

अध्याय — छह

अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाना भाग क अभिलेख प्रबन्धन

83. परिभाषित अभिलेख. — इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अभिलेख" से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से कोई अभिलेख और उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अभिलेख सम्मिलित है, —

(क) किसी राजस्व न्यायालय की अभिरक्षा में का किसी राजस्व मामले का अभिलेख या कोई अन्य अभिलेख या रजिस्टर, अथवा

(ख) अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में जमा किया गया कोई भू-अभिलेख अथवा किसी राजस्व मामले का अभिलेख अथवा कोई अन्य अभिलेख।

84. अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा.- (1) अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यालय में एक अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा स्थापित की जाएगी।

(2) राजस्व मंडल से भिन्न किसी कार्यालय में स्थापित अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख की निम्नलिखित श्रेणियां रखी जाएंगी, -

(क) किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित तथा अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में जमा किए जाने के लिए आदेशित किए गए राजस्व मामलों के अभिलेख;

(ख) ऐसे भू-अभिलेख जैसे कि आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा निदेशित किए जाएं; और

(ग) ऐसे अन्य अभिलेख जैसे कि प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा अथवा आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा निदेशित किए जाएं।

(3) राजस्व मंडल में स्थापित अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख की निम्नलिखित श्रेणियां रखी जाएंगी, -

(क) राजस्व मंडल की किसी न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित तथा अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में जमा किए जाने के लिए आदेशित राजस्व मामलों के अभिलेख; और

(ख) ऐसे अन्य अभिलेख जैसे कि अध्यक्ष, राजस्व मंडल अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सदस्य द्वारा निदेशित किए जाएं।

(4) अभिलेखों को अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में भेजे जाने की रीति, अभिलेखों को संरक्षित रखे जाने की रीति व अवधि तथा उन्हें विनष्ट किए जाने की रीति, -

(क) राजस्व मंडल में रखे गए अभिलेखों की दशा में अध्यक्ष, राजस्व मंडल द्वारा; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा।

समय समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

85. अभिलेख प्रशासक.- (1) कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में स्थापित अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा के लिए एक अधिकारी को अभिलेख प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगा:

परंतु राजस्व मण्डल अथवा आयुक्त कार्यालय से भिन्न किसी कार्यालय में नायब तहसीलदार अथवा सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी अभिलेख प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) अभिलेख प्रशासक इस अध्याय के नियमों तथा उनके अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

86. प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल.— (1) कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी को, अपने कार्यालय में स्थापित अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा के लिए, प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल, अभिलेख प्रशासक के पर्यवेक्षण व नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल, अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में रखे गए अभिलेखों की अभिरक्षा तथा संरक्षण और उसके परिसरों के समुचित अनुक्षण के प्रति उत्तरदायी होगा।

भाग-ख

अभिलेखों का निरीक्षण

87. अभिलेखों का निरीक्षण.— इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समस्त अभिलेख निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

88. राजस्व न्यायालय में राजस्व मामले का निरीक्षण करने के लिए अनुमति.— (1) किसी राजस्व न्यायालय की अभिरक्षा में के किसी लबित अथवा विनिश्चित राजस्व मामले के अभिलेख अथवा ऐसे राजस्व मामले से सम्बन्धित ऐसे राजस्व न्यायालय के किसी अन्य अभिलेख अथवा रजिस्टर का निरीक्षण उसके पक्षकार द्वारा अथवा उसके विधि व्यवसायी द्वारा अथवा उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा अथवा ऐसे विधि व्यवसायी के मान्यता प्राप्त क्लर्क द्वारा, यदि उसे उसके मास्टर द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, निःशुल्क किया जा सकेगा।

(2) कोई अन्य व्यक्ति ऐसे अभिलेख का ऐसे राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अथवा उसकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित किसी अन्य राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की, आवेदन प्रस्तुत करके, जिसमें उस हित के स्वरूप का वर्णन हो जिसके कि संरक्षण के लिए निरीक्षण चाहा गया है, अनुमति अभिप्राप्त करके निरीक्षण कर सकेगा। यदि अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो निःशुल्क निरीक्षण अनुमत किया जाएगा।

(3) नियम 92 के उप नियम (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध इस नियम के अधीन निरीक्षणों को भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी लंबित मामले के अभिलेख में सम्मिलित है ऐसे लंबित मामले के संबंध में मंगाया गया किसी निर्णीत मामले का अभिलेख।

89. अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में निरीक्षण के लिए फीस.— अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में जमा कर दिए गए अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति अनुसूची तीन में यथाविहित निरीक्षण फीस का भुगतान कर दिए जाने पर दी जा सकेगी। यदि निरीक्षण फीस का भुगतान कर दिए जाने के एक माह के भीतर निरीक्षण नहीं किया जाता है तो निरीक्षण फीस नए सिरे से देनी होगी।

90. सरकारी प्रयोजन के लिए निरीक्षण.— राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा सरकारी प्रयोजन से अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा बिना आवेदन दिए तथा निःशुल्क दी जाएगी।

91. निरीक्षणपुस्तिका.— प्रत्येक राजस्व न्यायालय के रीडर तथा प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल द्वारा प्ररूप-पच्चीस में एक निरीक्षण पुस्तिका रखी जाएगी और निरीक्षण की वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको भरेगा।

92. निरीक्षण की प्रक्रिया.— (1) अनुसूची तीन के अनुसार निरीक्षण फीस का अग्रिम भुगतान ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए और किसी भी दशा में वह वापस नहीं की जाएगी।

(2) निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे स्थान में तथा ऐसे पदधारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा जैसा कि यथास्थिति राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अथवा अभिलेख प्रशासक निदेश दे।

(3) आवेदक को निरीक्षण के दौरान पेन तथा स्याही साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह अभिलेख से कोई टीप लेने अथवा प्रतियां तैयार करने के लिए पेंसिल तथा कागज का उपयोग कर सकेगा तथा उन अभिलेखों के, जिनके निरीक्षण की अनुमति दी गई है, फोटोग्राफ लेने के लिए कैमरे का उपयोग कर सकेगा। वह अभिलेखों में कोई चिन्हांकन, परिवर्तन, संशोधन नहीं करेगा अथवा उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा।

(4) उप नियम (3) की अवहेलना करने वाला कोई व्यक्ति विधि के अंतर्गत दण्डित कार्रवाई का दायी होगा और यथास्थिति, राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा अभिलेख प्रशासक के आदेश से उसे ऐसी कालावधि के लिए जिसका कि वह निदेश दे, निरीक्षण के अधिकार से वंचित भी किया जा सकेगा।

(5) निरीक्षण का पर्यवेक्षण करने वाले पदधारी का यह कर्तव्य होगा कि जब निरीक्षण पूरा हो जाए तो वह यह देखे कि अभिलेखों में कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया है अथवा उनमें से कोई कागजात निकाले तो नहीं गए हैं और वह उसके मूल रूप में लौटाया गया है। निरीक्षण उसी दिन, जिसको कि अभिलेख परीक्षण हेतु निकाला गया हो, कार्यालय समय के भीतर पूरा किया जाना तथा अभिलेख लौटा दिया जाना चाहिए है।

93. पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक की अभिरक्षा में के अभिलेखों का निरीक्षण.— पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उसकी अभिरक्षा में के किन्हीं अभिलेखों में कोई हित हो ऐसे अभिलेखों का, जिनमें अधिकार अभिलेख सम्मिलित हैं, निरीक्षण करने, उनकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने तथा टीप लेने अथवा कैमरे का उपयोग करते हुए फोटोग्राफ लेने की निःशुल्क अनुमति देगा।

भाग—ग

अनुसूचीचार में सूचीबद्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का जारी किया जाना

94. अनुसूचीचार में सूचीबद्ध तथा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का जारी किया जाना.—(1) ऐसे अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो अनुसूची चार में सूचीबद्ध हों तथा इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध हों, प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से अथवा प्राधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि आयुक्त, भू अभिलेख द्वारा समय समय पर निदेशित किया जाए, जारी की जाएगी।

(2) ऐसे अभिलेखों की प्रतिलिपि के लिए फीस अनुसूची चार में विहित दरों पर प्रभारित की जायेगी तथा ऐसी रीति में संदत्त जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए:

परंतु राज्य सरकार अथवा किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के अधिकारियों द्वारा शासकीय उपयोग के लिए अपेक्षित प्रति के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

(3) फीस का ऐसा भाग तथा ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए, प्राधिकृत सेवा प्रदाता को संदत्त किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रस्तुत करने, उसकी छानबीन, प्रतिलिपि तैयार करने, फीस के भुगतान, प्रतिलिपि के सत्यापन व उसके प्रदाय किए जाने तथा लेखाओं के संधारण की रीति आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

(5) आयुक्त भू अभिलेख सगय सगय पर इरा नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन, जो कि वह ठीक समझे, सेवा प्रदाताओं को प्राधिकृत कर सकेगा।

भाग घ

अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का जारी किया जाना

95. अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का जारी किया जाना.— भाग-ग के अधीन आने वाले अभिलेखों से भिन्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि इस भाग के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

96. अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन.— (1) प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन उस कार्यालय के, जहां कि ऐसे अभिलेख रखे गए हों, प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा अथवा डाक से भेजा जा सकेगा:

परंतु प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से अथवा प्राधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदाय किए जाने के लिए आवेदन नियम 105 के अधीन उपबंधित रीति में किया जाएगा।

(2) आवेदन प्ररूप छब्बीस में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक अनुसूची-पांच में यथाविनिर्दिष्ट फीस का अग्रिम भुगतान ऐसी रीति में करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए और अपने आवेदन के साथ फीस के भुगतान का प्रमाण संलग्न करेगा। जहां तक संभव हो

सके आवेदक द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित फीस की सही राशि आवेदन प्रस्तुत करते समय स्वयं संगणित की जाएगी और संदत्त जाएगी। उस दशा में, जहां कि फीस की सही सही राशि का निर्धारण किया जाना संभव न हो वहां आवेदक ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान करेगा जो प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल द्वारा यथानिर्धारित फीस की पूर्ति करती हो।

97. फीस के भुगतान से छूट.—शासकीय उपयोग के लिए राज्य सरकार अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रमाणित प्रतिलिपियाँ निःशुल्क बनाई जाएंगी।

98. प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन का रजिस्ट्रीकरण.— (1) प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दिए गए प्रत्येक आवेदन का उसके दिए जाने पर प्रधान प्रतिलिपिकार सह-अभिलेखपाल द्वारा संक्षिप्त परीक्षण किया जाएगा और यदि प्रथमदृष्टया किसी त्रुटि, दोष अथवा कमी का पता चलता है तो वह उसी समय आवेदक से उसे ठीक करवाएगा।

(2) प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल उस के द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक आवेदन को आवेदनों के रजिस्टर में प्ररूप सत्ताईस में रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा प्ररूप अट्ठाईस में अभिस्वीकृति जारी करेगा।

99. आवेदन की छानबीन.— (1) प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करने के पूर्व प्रत्येक आवेदन की बारीकी से छानबीन की जाएगी। यदि किसी दोष का जिसमें फीस में कमी सम्मिलित है, पता लगता है, तो उसे ऐसे वेब पोर्टल पर, जैसा कि प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा निदेशित किया जाए, अधिसूचित किया जाएगा। यदि आवेदक का फोन नम्बर तथा ई-मेल का पता उपलब्ध है तो उसे फोन पर अथवा उसके फोन अथवा ई-मेल पर टैक्स्ट मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा।

(2) यदि ऐसी अधिसूचना तथा सूचना के सात दिन के भीतर दोष दूर नहीं किया जाता है तो अभिलेख प्रशासक द्वारा आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा और भुगतान की फीस समपहृत हो जाएगी।

100. स्कैन किए गए अथवा फोटो स्टेट दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि.— (1) उप नियम (2) के अध्यक्षीन रहते हुए, मूल दस्तावेज अथवा राज्य सरकार के संग्रहालय में जमा स्कैन किए गए दस्तावेज से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की जाएगी।

(2) किसी राजस्व मामले में प्रस्तुत फोटोस्टेट प्रति अथवा स्कैन किए गए दस्तावेज की प्रति उसी रीति में, जिसमें कि प्रमाणित प्रति दी जाती है, निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ प्रदान की जा सकेगी।

".....(नाम) (मामले में स्थिति) के द्वारा.....
के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक..... में प्रस्तुत की गई फोटोस्टेट/स्कैन की
गई प्रति की प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल"

101. प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार किया जाना व उसका प्रदान किया जाना. —(1) यदि छानबीन के पश्चात् आवेदन यथास्थिति व्यवस्थित पाया जाए अथवा उसका दोष दूर कर दिया गया हो तो प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल आवेदक को प्रदान किए जाने के लिए अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां तैयार करेगा।

(2) जहां अभिलेख राजस्व न्यायालय अथवा किसी अधिकारी की अभिरक्षा में हो वहां प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल राजस्व न्यायालय अथवा सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन की एक प्रति अग्रेषित करेगा, जो उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षण में प्रतिलिपि तैयार करने की अनुमति देगा। ऐसा व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि अभिलेखों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है तथा वह अच्छी स्थिति में वापस लौटाया गया है।

(3) तैयार की गई प्रतिलिपि पर प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल फीस के भुगतान को दर्शाने के लिए लेबल चिपकाएगा।

(4) नियम 102 के अध्यक्षीन रहते हुए जहां तक संभव हो, आवेदनों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर निपटाया जाएगा।

(5) प्रमाणित प्रतिलिपियों के अंतिम पृष्ठ के पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित पृष्ठांकन किया जाएगा—

आवेदन क्रमांक	आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक को उपस्थित होने के लिए बताया गया दिनांक	आवेदक के उपस्थित होने का दिनांक	आवेदन को (और अधिक अथवा सही ब्योरों के लिए अभिलेख सहित या उनके बिना) अभिलेखागार में भेजे जाने का दिनांक	अभिलेखागार से आवेदन (और अधिक अथवा सही ब्योरों के लिए अभिलेख सहित या उनके बिना) प्राप्त होने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

आवेदक को और अधिक तथा सही ब्योरों के लिए सूचना दिये जाने का दिनांक	आवेदक को और राशि के लिए सूचना दिए जाने का दिनांक	कालम (7) अथवा (8) में की दी गई सूचना का अनुपालन दिनांक	प्रतिलिपि तैयार होने का दिनांक	प्रतिलिपि दिए जाने अथवा भेजे जाने का दिनांक	वसूल की गई फीस
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्रतिलिपिकार तुलनाकर प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल

(6) यदि प्रतिलिपि इस प्रकार की हो जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची-एक-क के अनुच्छेद 24 के अधीन स्टाम्प लगाए जाने की आवश्यकता हो तो वह अपेक्षित मूल्य के गैर न्यायिक छापित स्टाम्प पेपर पर प्रारंभ होगी और यदि वह उसके अग्र भाग पर पूर्ण नहीं होती है तो वह साधारण प्रकार के सादे कागज अथवा कागजों पर पूर्ण की जाएगी। यदि प्रतिलिपि गैर-न्यायिक स्टाम्प पर ही पूर्ण हो जाती है तो उप नियम(5) द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन स्टाम्प के पीछे किए जाएंगे। तैयार की गई प्रतिलिपि पर फीस के भुगतान को दर्शाने के लिए लेबल चिपकाया जाएगा।

(7) किसी भी प्रमाणित प्रतिलिपि पर राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंतर्विष्ट नहीं होंगे। स्कैन किए जाते समय अथवा फोटोकॉपी तैयार किए जाते समय ऐसे हस्ताक्षर को छिपाने का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(8) प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखपाल द्वारा अनुप्रमाणन के माध्यम से प्रतिलिपि हस्ताक्षरित की जाएगी। हस्ताक्षर करने के पूर्व वह स्वयं का यह समाधान करेगा कि प्रत्येक कागज पर उप नियम (3) और (6) के अधीन यथाउपबंधित लेबल व स्टाम्प लगे हुए हैं या नहीं तथा इन लेबलों तथा स्टाम्पों को पंच अथवा निरस्त करेगा।

(9) तैयार किए जाने तथा सत्यापन के पश्चात् प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर अथवा उसके अभिकर्ता को अथवा उसके वकील को दी जाएगी और यदि ऐसी वांछा की जाए, और जब आवेदन के साथ पर्याप्त मूल्य के डाक टिकिट संलग्न हों तो उसे डाक द्वारा भेजा जाएगा।

102. प्रमाणित प्रतिलिपि का तुरन्त प्रदान किया जाना.—(1) प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन उसके लिए आधार का कथन करते हुए अनुसूची-पांच में विहित फीस के दुगने भुगतान का प्रमाण संलग्न करते हुए किया जाएगा।

(2) जहां कि भुगतान की गई फीस की राशि केवल साधारण तरीके से प्रतिलिपि तैयार किए जाने की सीमा तक ही पर्याप्त हो तो आवेदन को साधारण तरीके से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान किए जाने के लिए आवेदन समझा जाएगा। तथापि, अधिक भुगतान कर दी गई फीस के किसी भाग को वापस नहीं किया जाएगा।

(3) जहां कि भुगतान की गई फीस की राशि साधारण तरीके से प्रतिलिपि तैयार करने के लिए भी पर्याप्त न हो तो आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा और भुगतान गई फीस समपहृत कर ली जाएगी।

(4) प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त प्रदान किए जाने वाले आवेदन को अभिलेख प्रशासक को तत्काल अग्रेषित किया जाएगा जो उस पर अविलम्ब कार्रवाई करेगा और अधिकथित आधारों पर विचारोपरांत आवेदन को या तो स्वीकार कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा तथा उसे प्रधान प्रतिलिपिकार-सह- अभिलेखपाल को लौटा देगा।

(5) जहां कि उप नियम (4)के अधीन आवेदन निरस्त कर दिया जाता है वहां साधारण तरीके से प्रतिलिपि तैयार की जाएगी। तथापि, भुगतान गई फीस का कोई भाग लौटाया नहीं जाएगा।

(6) जहां कि प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त प्रदान किए जाने हेतु दिया गया है वहां उसे सामान्य आवेदनों पर प्राथमिकता देते हुए यथासंभव प्रतिलिपि शीघ्र तैयार की जाएगी और साधारणतया तुरन्त वितरण किए जाने वाला आदेश पारित किए जाने के पश्चात् दो कार्य दिवसों से अनधिक में, प्रदान किए जाने के लिए तैयार रखी जानी चाहिए।

(7) प्रतिलिपि के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष भाग पर तथा आवेदनों के रजिस्टर के अभ्युक्तियों वाले कॉलम में लाल स्याही से शब्द "तुरन्त प्रदाय" लिखे जाएंगे।

103. फीस का लौटाया जाना.— (1) जब अभिलेख उपलब्ध नहीं हो तो प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए भुगतान गई फीस चाहे वह साधारण तरीके से दिए जाने के लिए भुगतान की गई हो अथवा तुरन्त प्रदान किए जाने के लिए, पूरी लौटा दी जाएगी। ऐसे मामले में अभिलेख की अनुपलब्धता के बारे में आवेदक को लिखित सूचना भेजी जाएगी।

(2) अन्य मामलों में फीस की अधिक भुगतान गई राशि नियम 102 के उपनियम (2),(3) तथा (5) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए लौटा दी जाएगी।

104. लेखाओं का संधारण—प्रधान प्रतिलिपिकार—सह—अभिलेखपाल ऐसे रजिस्टर तथा अन्य लेखा पुस्तकें रखेगा जैसा कि प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा समय समय पर निदेशित किया जाए:

परन्तु ऐसे निदेशों के जारी होने तक रजिस्टर तथा अन्य लेखा पुस्तकें इन नियमों के प्रभावी होने के ठीक पूर्व विद्यमान नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार संधारित की जाती रहेंगी।

105. प्राधिकृत सेवा प्रदाता अथवा प्राधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि का जारी किया जाना.— (1) इस भाग के पूर्वगामी नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राधिकृत सेवा प्रदाता अथवा प्राधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि आयुक्त, भू—अभिलेख द्वारा समय—समय पर निदेशित किया जाए, जारी की जा सकेगी।

(2) ऐसी प्रतिलिपि जारी की जाने के लिए अनुसूची चार में विहित दर पर फीस प्रभारित की जाएगी और ऐसी रीति में भुगतान जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निदेशित किया जाए :

परन्तु राज्य सरकार अथवा प्रतिपाल्य अधिकरण के अधिकारियों द्वारा शासकीय उपयोग के लिए अपेक्षित प्रतिलिपि के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(3) फीस का उतना भाग तथा ऐसी रीति में जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निदेशित की जाए, प्राधिकृत सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रस्तुत करने, उसकी छानबीन, प्रतिलिपि तैयार करने, फीस के भुगतान, प्रतिलिपि के सत्यापन व उसके प्रदाय किए जाने तथा लेखाओं के संधारण की रीति आयुक्त, भू—अभिलेख द्वारा समय समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

(5) आयुक्त, भू-अभिलेख समय-समय पर इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जैसे कि वह उचित समझे, सेवा प्रदाताओं को प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय-सात

विविध

106. अनुदेश जारी करने की आयुक्त, भू-अभिलेख की शक्ति. — आयुक्त, भू-अभिलेख, समय-समय पर, संहिता और इन नियमों से अनसंगत, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जैसे कि वह इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे।

107. निरसन और व्यावृत्ति.— (1) निम्नलिखित नियम एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :—

(एक) सर्वेक्षण संख्यांक तथा ग्रामों की विरचना के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 177-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960.

(दो) सर्वेक्षण संख्यांकों के उपखण्डों में विभाजन तथा प्रभाजन के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 178-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(तीन) कृषिक भूमि के राजस्व सर्वेक्षण के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 179-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 ;

(चार) निर्धारण की दरों के प्रस्तावों के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 180-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 ;

(पांच) कृषि के फायदों की तथा कृषिक और गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के मूल्य की जांच के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 235-नौ-62, दिनांक 24 जनवरी, 1963 ;

(छह) नगरीय क्षेत्रों में भूमि के निर्धारण और पुनर्निर्धारण के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक-181-6477-सात-एन(नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना क्रमांक 1564-124/सात-एन (नियम), दिनांक 16 मार्च, 1961 ;

(सात) किसी आबादी का नक्शा तैयार करने के लिए विवरणों आदि के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 182-6477-सात-एन, दिनांक 6 जनवरी, 1960 ;

(आठ) पटवारियों के कर्तव्यों के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 3284-379-नौ-66 दिनांक 25-11-66, अधिसूचना क्रमांक 956-3550-नौ, दिनांक

- 16-4-1971 द्वारा यथासंशोधित, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग चार (ग) दिनांक 7-5-71 पृष्ठ 169 पर प्रकाशित;
- (नौ) उपसंगी (सहायक) क्षेत्र अभिलेख के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 436-1479-आठ-62, दिनांक 5 मार्च, 1962 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1962 में प्रकाशित ;
- (दस) राजस्व निरीक्षक के कर्तव्यों के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 1978-458-नौ-61, दिनांक 29-6-1962;
- (ग्यारह) 'अधिकार अभिलेख तैयार करना' के संबंध में बनाये गए नियम अधिसूचना क्रमांक 2498-सात-एन-दिनांक 10 जून, 1965 जो कि राजपत्र दिनांक 02 जुलाई, 1965 में प्रकाशित ;
- (बारह) धारा 120 के अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 184-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960;
- (तेरह) ग्राम के भू-अभिलेखों के तैयार किए जाने, संधारण व पुनरीक्षण को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 1586-1682-आठ-69, दिनांक 17-6-1970;
- (चौदह) सीमाओं तथा सीमा चिन्हों, सर्वेक्षण चिन्हों के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 185-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 218-3446-सात-एन-1 दिनांक 20 जनवरी, 1966 द्वारा यथा संशोधित ;
- (पन्द्रह) सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों के अनुरक्षण के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 186-6477-सात-एन-1 (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 ;
- (सोलह) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक 188-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 9 जनवरी, 1960 ; और
- (सत्रह) मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959.
- (2) ऐसा निरसन निरसित नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके अधीन सम्यक रूप से की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा और उसका यह प्रभाव होगा मानो वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई हो।

प्ररूप एक

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

खसरा

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है। 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)

1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	अधिकारी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता
(5)	(6)	(7)	(8)

भूमि पर विल्लगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन की प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि की सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभ्युक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप दो
(नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
मसाहती खसरा

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

ग्राम के उस भाग का नाम जिसमें क्षेत्र आता हो	क्षेत्र का संख्यांक अथवा/ नाम	क्षेत्र में सम्मिलित भू-खण्डों का संख्यांक	अधिकार, राजस्व तथा भाटक स्पष्ट करते हुए अधिभोगी का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	1. फसल के ब्यारे 2. खेती का रकबा 3. वर्ष के दौरान उगाई गई फसलें			वर्तमान में बंजर भूमि का क्षेत्रफल (प्रथम वर्ष के लिए) (हेक्टेयर में)	अन्य बंजर भूमि का रकबा (2 से 5 वर्ष तक) (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
	फसल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	दोहरी फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्ररूप तीन
(नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
अधिकार अभिलेख

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक.....तहसील.....जिला

सरल कमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	पूर्ववर्ती सर्वेक्षण संख्यांक	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भू-राजस्व (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है।	1. भूमिस्वामी/सरकारी पट्टेदार का नाम 2. उसकीमाता/पिता/पति/पालक का नाम 3. निवास का पता	अधिकार की प्रकृति	संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार के हित की सीमा	1. अधिभोगी कृषक का नाम (यदि कोई हो) 2. उसकीमाता/पिता/पति का नाम 3. निवास का पता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार	अभ्युक्तियां
1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जनकी प्रक्रियाधीन	1. सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. अन्य ब्यौरे
(11)	(12)

प्ररूप चार

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

मध्यप्रदेश शासन

भू-अधिकार पुस्तिका

फोटो

भूमिस्वामी का नाम.....

माता/पिता/पति का नाम

ग्राम/नगर का नाम

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक

तहसील.....

जिला

मुद्रा

सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम व मुद्रा

भाग- एक (क)
भू-अभिलेख

खाता संख्यांक.....

वर्ष.....

भूमि में अधिकार का वर्ग (भूमिस्वामी)

भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमिउपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है। 3. भू-राजस्व (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)

1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश (संयुक्त खाते की दशा में)	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता
(5)	(6)	(7)

भाग-एक (ख)
भू-राजस्व के भुगतान के ब्यौरे

भाग-दो
न्यायालय के उपयोग के लिए (न्यायालयीन प्रकरणों में जमानत के ब्यौरे)

न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	अभियुक्त का नाम जिसके लिए जमानत दी गई है	जमानत की राशि (रुपयों में)	जमानत पर छोड़े जाने संबंधी आदेश के ब्यौरे तथा दिनांक	मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर व मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टिप्पणी -

<p>1. भूमि की अवस्थिति</p>	<p>(क) राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी से अनधिक (ख) राज्य राज मार्ग से दूरी से अनधिक (ग) क्या संहिता की धारा 165 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर है? (घ) क्या संहिता की धारा 165 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र भिन्न क्षेत्र में है? (ङ.) क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र में है?</p>	<p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p>
<p>2. खाते का आकार</p>	<p>(क) लघु कृषक (ख) सीमान्त कृषक (ग) अन्य</p>	<p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p>
<p>3. भूमिस्वामी</p>	<p>(क) अवयस्क (ख) मूर्ति अथवा पूर्त संस्था (ग) संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन घोषित आदिम जनजाति (घ) मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (कमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट (ङ.) संहिता की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण की गई है</p>	<p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p>
<p>4. क्या भूमि बंधक रखी गई है? यदि हां तो बंधकदार का नाम दीजिए</p>	<p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p>	
<p>5. क्या भूमि में अधिकार पैतृक है? अथवा स्वअर्जित</p>	<p><input type="checkbox"/> पैतृक <input type="checkbox"/> स्वअर्जित</p>	

संहिता से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959)

प्ररूप पांच
(नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम/सेक्टर की व्यपवर्तित भूमि के बारे

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

भूमि के भाग की यूनिक आईडी	ब्लॉक संख्यांक	भू-खण्ड संख्यांक	1. क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) 2. भू उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है। 3. भू-राजस्व (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

भूमिस्वामी का नाम, उसकीमाता/पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही हो	1. भूमि पर संरचना 2. अन्य अभ्युक्तियां 3. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (7) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप छह
(नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
पुनर्क्रमांकन रजिस्टर

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक	पूर्ववर्ती राजस्व /भू-सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए खसरा में यथा अभिलिखित पुराना संख्यांक	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप सात

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
खातावार खतीनी अथवा जमाबंदी

खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारी) का नाम, पत्नी/पिता/पति का नाम तथा पता	2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारी) का आईडी क्रमांक (संपूर्ण खाते की रक्षा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	संख्यांक / भू-खण्ड संख्यांक के द्वारा/प्लॉक संख्यांक सहित (5 एकड़ भूमि को तथा 7* गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है)	2. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	जिल्ला (रूपों में)	* मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का रॉल	प्लॉट नंबर की शीट (रूपों में)	इकाया यदि कोई हो (रूपों में)	आदिनांक ब्याज (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रूपों में)	अद्यतन कुल मांग (रूपों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के खाते शामिल हो (रूपों में)	देय राशि	अभ्युक्तिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
									कुल भू-राजस्व (कॉलम 8 का योग)							
									हाला उपकर यदि कोई है							
									पद्यावत उपकर यदि कोई है							
									आणिज्यिक फसल उपकर (यदि कोई है)							
									प्रोमिसम (यदि कोई है)							
									शानित (यदि कोई है)							
									योग							

* यदि खाते को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट प्राप्त है तो उसे कॉलम (7) में 'छूट प्राप्त' के रूप में दर्शाया जाएगा।

प्ररूप आठ
(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्रामवार/सेक्टरव्यापी भूमिस्वामीवार खतीनी दिनांक.....

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

खतीनी का अर्बिडी क्रमांक	खतीनी का नाम / पति का नाम तथा पता	ग्राम/सेक्टर में स्थित खतीनी का क्रमांक	1. सर्वेक्षण संख्या / भू-राजस्व संख्या का संख्यांक 2. क्षेत्रफल (इकाई मीटर/वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग किसके लिए किया गया है	मिटरों में	* मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1958 की धारा 58-क के अन्तर्गत छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	पट्टा नंबर की संख्या (कंपनी में)	किसका अधिकार है (कंपनी में)	अवकाश प्राप्त (नियम 8 के अन्तर्गत, 1958 की धारा 58-क के अन्तर्गत)	अवकाश प्राप्त (कंपनी में)	पुनर्गठन गुरु संहिता के अन्तर्गत पुनर्गठन हो (कंपनी में)	इस तारीख	अनुचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		खाता संख्या					कुल भू-राजस्व (कॉलम 8 का योग)							
		अंश					शाखा उपकरण (यदि कोई है)							
							पंचायत उपकरण (यदि कोई है)							
							वाणिज्यिक फसल उपकरण (यदि कोई है)							
							प्रीमियम (यदि कोई है)							
							शास्ति (यदि कोई है)							
		खाता संख्या					कुल भू-राजस्व (कॉलम 8 का योग)							
							शाखा उपकरण							
		अंश					(यदि कोई है)							
							पंचायत उपकरण (यदि कोई है)							
							वाणिज्यिक फसल उपकरण (यदि कोई है)							
							प्रीमियम (यदि कोई है)							
							शास्ति (यदि कोई है)							
		योग					योग							

* यदि खाता को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1958 की धारा 58-क के अन्तर्गत छूट प्राप्त है तो उसे कॉलम (7) में 'छूट प्राप्त' के रूप में दर्शाया जाएगा।

प्ररूप नौ
(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

सरकारीपदों का रजिस्टर

दिनांक.....

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील.....जिला.....

संकेत संख्यांक /भू-खण्ड संख्यांक सहित (‘S’ कृषक भूमि को तथा ‘P’ गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	1. पट्टे को अवधि (..... से.....तक)	2. पट्टे के अधीन क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	3. भूमि का उपयोग जिसके लिए पट्टा दिया गया है	4. पट्टेदार (पट्टेदारों का नाम) जिसकी माता/पिता / पति का नाम तथा पता	प्रत्येक पट्टेदार का हिस्सा (संयुक्त पट्टे की दशा में)	भूमि पर विलगन तथा प्रकार	पट्टे के अधीन (कृषिक भूमि की दशा में)		भूमि की सिंचाई संबन्धि प्रस्थिति (कृषिक प्रयोजन के लिए दिये गये पट्टे की दशा में)	भूमि पर संरचनाएं	अभ्युक्तिता			
								किसल	किसल के अधीन क्षेत्रफल						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1. खरीफ	2. रबी	3. जायद	4. अन्य	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप दस
(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

सीमा चिन्हों तथा निर्देशांकों (रिफरेंस प्वाइंट्स) का रजिस्टर

ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील.....जिला.....

निर्देशांक (रिफरेंस प्वाइंट्स)	सीमा चिन्हों की अवस्थिति	अक्षांश	देशांतर	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक	1. भूमिस्वामी/पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. सेवा भूमि/निस्तार भूमि/सरकारी भूमि	अभ्युक्तियां
1. बांदा पथपर	1. ग्राम की सीमा के सीमा बिन्दु पर					
2. प्राथमिक ग्राउण्ड कंट्रोल बिन्दु	2. सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक के भाग पर					
3. द्वितीयक ग्राउण्ड कंट्रोल बिन्दु	3. दखलरहित भूमि पर (ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक)					
4. तृतीयक ग्राउण्ड कंट्रोल बिन्दु	4. खातेदार की भूमि तथा मार्ग/नाले के बीच 5. वन तथा राजस्व भूमि के बीच (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप ग्यारह
(नियम 8 देखिये)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
राज्यव्यापी भूमिस्वामीदार खतीनी दिनांक.....

खतेदार का आईटी क्रमांक	खतेदार (खतेदारों) का नाम पत्नी/पिता/पति का नाम तथा पता	उपस्थित स्थिति स्थली के क्रमांक	1. सर्वेक्षण संख्या/भू-राजस्व संख्या/सर्वेक्षण संख्या (5 अंक) भूमि को तथा 'A' गैर-कृषिक भूमि को दर्शाता है। 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिले के लिए निर्धारित किया गया है	निर्धारण (रूपों में)	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का योग	भूमि वर्ष की मात्रा (रूपों में)	वकालत यदि कोई हो (रूपों में)	अवकाश यदि कोई हो (रूपों में)	अवकाश कुल मात्रा (रूपों में)	पुनर्गतन या रवि फिलिम के बारे में निर्दिष्ट हो (रूपों में)	देव रवि (रूपों में) (आज दिनांक तक)	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		ग्राम/जगर, पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक, तहसील तथा जिला					कुल भू-राजस्व (कॉलम 8 का योग)							
		खता क्रमांक					शाला उपकर (यदि कोई है)							
							पञ्चायत उपकर (यदि कोई है)							
							व्यक्तिगत करतल उपकर (यदि कोई है)							
							प्रतिपाद्य (यदि कोई है)							
							शान्ति (यदि कोई है)							
		ग्राम/जगर, पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक, तहसील तथा जिला					कुल भू-राजस्व (कॉलम 8 का योग)							
		खता क्रमांक					शाला उपकर (यदि कोई है)							
							पञ्चायत उपकर (यदि कोई है)							
							व्यक्तिगत करतल उपकर (यदि कोई है)							
							प्रतिपाद्य (यदि कोई है)							
							शान्ति (यदि कोई है)							
		ग्राम					योग							

* यदि खते को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट प्राप्त है तो उसे कॉलम (7) में 'छूट प्राप्त' के रूप में दर्शाया जाएगा।

प्ररूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

ग्वालियर, दिनांक.....

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

आयुक्त, भू-अभिलेख,
मध्यप्रदेश

प्ररूप तेरह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

ग्वालियर, दिनांक.....

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण को बन्द करने की घोषणा

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है।

आयुक्त, भू-अभिलेख,
मध्यप्रदेश

प्ररूप चौदह
(नियम 14 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- /भू-सर्वेक्षण / - / 2020

दिनांक

अधिसूचना

सर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ होने की उद्घोषणा

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 14 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं..... जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें समस्त खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किए जाएंगे तथा ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा।

उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रभावित हो सकते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा अभिनियोजित कर्मचारियों को सहयोग करें तथा भूमि में उनके स्वत्व, सीमाओं, अंशों, दायित्वों और अधिकारों को उपलब्ध कराएं। यह समस्त कृषकों के हित में होगा।

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप पन्द्रह
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

दिनांक.....

उद्घोषणा

प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में सर्वसाधारण के लिए यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि ग्राम/नगरपटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक के अधिकार अभिलेखों को जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकार अभिलेखों की प्रति एतद्वारा पर प्रदर्शित की गई है जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित हैं। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियों को दिनांक..... के पूर्व जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है।

इस उद्घोषणा में ऊपर दी गई दिनांक का अवसान हो जाने पर दावों तथा आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप सोलह
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / -- / 2020

दिनांक.....

सूचना

प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना प्रति,

खातेदार का नाम..... (भूमिस्वामी / सरकारी पट्टेदार)
ग्राम / नगर

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक.....

तहसील.....जिला.....

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में आपको यह सूचित किया जाता है कि ग्राम / सेक्टर के अधिकार अभिलेखों को जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। आपसे संबंधित खाता संख्यांक..... के अधिकार अभिलेख के प्रारूप की प्रति एतद्द्वारा संलग्न है जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित हैं। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्तियों को अधिकार अभिलेखों को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्नक- अधिकार अभिलेखों के प्रारूप की प्रति!

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

जिला

प्ररूप सत्रह
(नियम 17 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

सूचनाओं की तामिली की अभिस्वीकृति का रजिस्टर

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर को सम्मिलित करते हुए ग्राम/नगर का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसे सूचना जारी की गई है।	सूचना प्राप्त करने वाले का नाम तथा उस व्यक्ति से संबंध जिसे कि सूचना जारी की गई है।	प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रारूप अठ्ठारह
(नियम 18 देखिये)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

प्रारूप भू-अभिलेख पर दावे तथा आपत्तियां

.....(प्राधिकारी का पदनाम) जिला.....के समक्ष

<p>क.आपत्तिकता के विवरण</p> <p>1. दावे या आपत्तियां प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम</p> <p>2. माता/पिता/पति का नाम</p> <p>3. निवास तथा डाक का पूर्ण पता</p> <p>4. मोबाईल फोन नम्बर</p>	
<p>ख.भूमि का विवरण</p> <p>5. जिला</p> <p>6. तहसील</p> <p>7. ग्राम/नगर तथा पटवारी हल्का कर्मांक/सेक्टर कर्मांक</p> <p>8. प्रारूप भू-अभिलेख का नाम तथा प्रविष्टियां जिनके संबंध में दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं</p>	
<p>ग. दावे तथा आपत्तियोंका विवरण</p> <p>9. दावे/आपत्तियां</p>	
<p>10. संलग्न दस्तावेजों की सूची</p>	<p>1. 2</p> <p>3.....</p>

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम.....

**प्ररूप उन्नीस
(नियम 20 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020**

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

अंतिम भू-अभिलेखों के प्रकाशन की सूचना

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 20 के उप नियम (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा, सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि ग्राम/नगर..... पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील.....जिला मध्यप्रदेश के भू-अभिलेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और बेबसाईट..... पर प्रकाशन किया जा चुका है।

स्थान

दिनांक मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला

**प्ररूप बीस
(नियम 21 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020**

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

उन प्रकरणों की सूची जिनमें किसी न्यायालय के विनिश्चय से भू-अभिलेख की प्रविष्टियां प्रभावित हो रही हों :

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक		प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्तियां
	प्रविष्टि दिनांक	न्यायालय का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप इक्कीस
(नियम 21 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की सूची

अनुक्रमांक	प्रकरण क्रमांक तथा दायरा का दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप बाईस
(नियम 29 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

उन व्यक्तियों का अभिलेख जिन्हें भू-अधिकार पुस्तिका दी गई है

ग्राम/नगर पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांकतहसीलजिला.....

अनुक्रमांक	खाता संख्यांक	भूमिस्वामी का नाम	भू-अधिकार पुस्तिका संख्यांक	प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप तेईस
(नियम 48 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

यतः, हाशिए में दर्शित किए गए प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि संलग्न अनुसूची में दर्शित आपके सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याको)/ ब्लॉक संख्यांक (संख्याको)/ भू-खण्ड संख्यांक (संख्याको) का उसकी/उनकी सीमाओं का अवधारण करने की दृष्टि से सर्वेक्षण तथा पैमाईश की जाए;

यहां वह प्रयोजन दर्शाया जाए
जिसके लिए सर्वेक्षण तथा पैमाईश आवश्यक है.

आपसे उक्त सीमाओं को दिखाने के लिए दिनांक को स्थल पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप उपस्थित रहने में असफल रहते हैं तो सीमाओं के अवधारणा का कार्य आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा तथा उसके संबंध में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/
नगर सर्वेक्षक/पटवारी.

दिनांक

अनुसूची

सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक	ब्लाक की दशा में भू-खण्ड संख्यांक (यदि कोई हो)	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्ररूप चौवीस
(नियम 57 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
अतिक्रमण का रजिस्टर

ग्राम/नगर..... पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील..... जिला.....

अनुक्रमांक	अतिक्रमण का पता लगने का दिनांक	अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा पता	भूमि का विवरण जिस पर अतिक्रमण किया गया हो			
			सर्वेक्षण संख्याक/भू-खण्ड संख्याक/उसके ब्लॉक संख्याक सहित	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	*भूमि की श्रेणी	अतिक्रमण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अतिक्रमण की प्रकृति	अतिक्रमण के स्कैच को आवंटित अनुक्रमांक	तहसीलदार को अतिक्रमण की रिपोर्ट देने का दिनांक	प्रकरण क्रमांक तथा अंतिम आदेश का दिनांक	अंतिम आदेश का सार	अंतिम आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

पटवारी/नगर सर्वेक्षक
पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....
तहसील

*भूमि की श्रेणी-अतिक्रमण के रजिस्टर के कॉलम (6) के प्रयोजन के लिए भूमि की श्रेणी में सम्मिलित है आबादी, सेवा भूमि, निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि, वाजिब-उल-अर्ज, संहिता की धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि, लोक मार्ग, राजस्व वन अथवा कोई अन्य दखलरहित भूमि अथवा कोई अन्य भूमि, जो कि सरकार अथवा किसी प्राधिकरण की, किसी राज्य के अधीन गठित अथवा स्थापित किसी निगमित निकाय या संस्था की हो अथवा कलक्टर द्वारा प्रबन्धित धार्मिक सत्ता से संबंधित भूमि के रूप में अभिलिखित हो।

प्ररूप पच्चीस
(नियम 91 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

निरीक्षण पुस्तिका

दिनांक	निरीक्षण चाहने वाले आवेदक का नाम, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर	अभिलेख, पुस्तिका अथवा रजिस्टर जिसका निरीक्षण चाहा गया है।	वह हैसियत जिसमें निरीक्षण चाहा गया है।
(1)	(2)	(3)	(4)

निरीक्षण आदेश देने वाले अधिकारी के आद्याक्षर	निरीक्षण में लगा समय		भुगतान गई निरीक्षण फीस के ब्यौरे	अभ्युक्तियां
 से तक		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप छब्बीस
(नियम 96 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन

प्रति,

प्रधान प्रतिलिपिकार-सह-अभिलेखापाल

.....
.....

आवेदन क्रमांक

अनुक्रमांक	विवरण	
(1)	(2)	
1.	आवेदक का नाम आधार संख्या (ऐच्छिक)	
2.	डाक का पता	
3.	ई-मेल	
4.	मोबाइल नम्बर	

<p>5.</p>	<p>उस दस्तावेज के ब्यौरे जिसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। अभिप्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। 1. भू-अभिलेख की दशा में पूर्ण ब्यौरे दीजिए, उदाहरण के लिए दस्तावेज का नाम, खसरा संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/ भू-खण्ड संख्यांक, ग्राम/नगर तथा पटवारी हल्का कमांक/ सेक्टर कमांक/तहसील, इत्यादि. 2. यदि दस्तावेज राजस्व प्रकरण का कोई भाग है तो राजस्व न्यायालय के नाम के साथ-साथ प्रकरण संख्यांक तथा प्रकरण का नाम दीजिए. 3.अन्य ब्यौरे.</p>	
<p>6.</p>	<p>अपेक्षित पृष्ठ संख्या</p>	
<p>7.</p>	<p>जमा की गई राशि (रुपयों में)(यदि फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है तो उसके आधार)</p>	
<p>8.</p>	<p>स्थान</p>	
<p>9.</p>	<p>दिनांक</p>	
<p>10.</p>	<p>आवेदक के हस्ताक्षर</p>	

प्ररूप सत्ताईस
(नियम 98 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

प्रतिलिपियों के लिए प्राप्त आवेदन और उनके निपटारे का रजिस्टर

कार्यालय का नाम

अनुक्रमांक	आवेदन की प्राप्ति दिनांक	आवेदक का नाम व पता	चाही गई प्रतिलिपियों/अभिलेखों अथवा नक्शों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक	प्रतिलिपियों पर चस्था किए गए स्टाम्पों का मूल्य	अभ्युक्तियां
(5)	(6)	(7)

प्ररूपअट्ठाईस
(नियम 98 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दिए गए आवेदन की अभिस्वीकृति
प्रति,

श्री/श्रीमती/कु.
आत्मज/आत्मजा/पत्नी
पता.....

अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दिए गए आवेदन क्रमांक की
एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक मुद्रा
स्थान

प्राप्त करने वाले प्राधिकारी
का नाम तथा पदनाम
तहसील
जिला

अनुसूची-एक

(नियम 49 तथा 50 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
सीमा चिन्हों के विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)

अनुक्रमांक	सीमा चिन्ह का प्रकार	विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)
(1)	(2)	(3)
1.	ग्रामों के सीमा चिन्ह	<p>(1) ईट, पत्थर आदि के टुकड़ों और सीमेंट रेत से मिश्रित मसाले से बिटाए गये पत्थर जो 1.00 मीटर से अनधिक लम्बे और 0.15 मीटर वर्गाकार से कम के नहीं होंगे, जिनका 0.30 मीटर से अनधिक भाग भू-स्तर से ऊपर होगा</p> <p>अथवा</p> <p>(2) सीमेंट या सीमेंट-चूना में पकाई गई ईंटों के 0.30 मीटर वर्ग के और 1.00 मीटर ऊँचे चिनाई के खंभे जिनका 0.60 मीटर का नीचे उतारी हुई नींव युक्त भाग धरती दबा होना आवश्यक है।</p>
2.	धारक की भूमि और दखलरहित भूमि के बीच के सीमा चिन्ह	<p>(1) 1.50 मीटर चौड़ाई की बिना जुती पट्टी के द्वारा;</p> <p>अथवा</p> <p>(2) 0.50 मीटर ऊँचे, मूल में 1.50 मीटर चौड़े और चोटी पर 1.00 मीटर चौड़े धुरा द्वारा;</p> <p>अथवा</p> <p>(3) दृढ़ बागड़ या भीत द्वारा;</p> <p>अथवा</p> <p>(4) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रॉपर्टी पिन।</p>

अनुसूची- दो
(नियम 84 देखिये)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
अभिलेखागार सह प्रतिलिपि शाखा

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	अभिलेख जो रखे जाएंगे
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व मण्डल	राजस्व मण्डल के कार्यालय के अभिलेख
2.	आयुक्त भू-अभिलेख	आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालय के अभिलेख
3.	प्रमुख राजस्व आयुक्त	प्रमुख राजस्व आयुक्त के कार्यालय के अभिलेख
4.	आयुक्त	राजस्व न्यायालय के प्रकरणों की नस्तियां और आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा यथानिदेशित अन्य कार्यालयीन नस्तियां तथा अन्य अभिलेख
5.	कलक्टर	राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त अभिलेख, भू-सर्वेक्षण अभिलेख, राजस्व न्यायालयों के प्रकरण की नस्तियां और आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा यथानिदेशित अन्य कार्यालयीन नस्तियां तथा अन्य अभिलेख
6.	तहसीलदार	1. उपखण्ड कार्यालय के अभिलेख, 2. तहसील कार्यालय के अभिलेख, 3. केवल राजस्व प्रकरणों से संबंधित ग्राम पंचायत के अभिलेख, 4. राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य अभिलेख

अनुसूची- तीन
(नियम 89 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
निरीक्षण फीस

विवरण	निरीक्षण की अवधि	फीस (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
अभिलेखों का निरीक्षण (प्रति व्यक्ति जो अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं)	पहले घंटे के लिये	100/-
	प्रत्येक पश्चात्तवर्ती घंटे या उसके किसी भाग के लिए	50/-

अनुसूची- चार

(नियम 94 तथा 105 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

नियम 94 तथा 105 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाता अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने के लिये फीस

सरल क्रमांक	अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण	पहले पृष्ठ के लिये फीस (रुपयों में)	प्रत्येक पश्चात्तवर्ती पृष्ठ के लिये फीस (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खसरा एकसाला/खसरा पांचसाला/खाला जगाबंदी (खतौनी)/अधिकार अभिलेख/खेवट	30.00	15.00
2.	वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक	30.00	15.00
3.	ए-4 साइज में नक्शे की प्रतिलिपि	30.00	15.00
4.	नामांकन पंजी की प्रति (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
5.	किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति/किसी राजस्व प्रकरण में आदेश पत्रिका की प्रति/राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
6.	हस्तलिखित खसरा पांचसाला (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में)	30.00	15.00
7.	हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्केन की गई प्रति) (ए-4 आकार में)	30.00	15.00

अनुसूची- पांच

(नियम 96 तथा 102 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

नियम 96 तथा 102 के अधीन अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने के लिए फीस

संरल क्रमांक	अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण	यूनिट	प्रति यूनिट फीस (रुपयों में)	भुगतान का तरीका	अभिलेख के प्रदाय के लिये समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खसरा (कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) - इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि	प्रति सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक	5.00		
2.	खसरा (कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) - ए-4 साइज की हार्ड प्रतिलिपि	प्रति सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक	5.00		
3.	खतौनी (कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) - इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि	प्रति खाता	10.00		
4.	खतौनी (कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) - हार्ड प्रतिलिपि	प्रति खाता	10.00		
5.	नक्शा (ए-4 साइज पर)	प्रति सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक (यदि वे एक दूसरे से लगे हुये हों)	5.00		
6.	निस्तार पत्रक	ग्रामवार	100.00		
7.	वाजिब-उल-अर्ज	ग्रामवार	100.00		

सरल क्रमांक	अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण	यूनिट	प्रति यूनिट फीस (रुपयों में)	भुगतान का तरीका	अभिलेख के प्रदाय के लिये समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	खेवट	ग्रामवार	50.00	ऑनलाइन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन से जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एईपीएस आदि सम्मिलित है, सरकारी खजाने में चालान द्वारा,	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010)
9.	अधिकार अभिलेख	प्रति खाता	10.00	न्याय शुल्क लेबल द्वारा	
10.	पुनःक्रमांकन सूची	ग्रामवार	100.00		
11.	नामांतरण रजिस्टर	प्रति प्रकरण	10.00		
12.	राजस्व प्रकरणों के अभिलेख	प्रकरण की संपूर्ण नस्ती	200.00		
13.	राजस्व प्रकरणों के अंतिम/अंतरिम आदेश	प्रति पृष्ठ	10.00		
14.	राजस्व प्रकरणों की आदेशिका	प्रति पृष्ठ	10.00		
15.	राजस्व प्रकरणों के दस्तावेज	प्रति पृष्ठ	10.00		
16.	राजस्व प्रकरणों का रजिस्टर (दायरा यंजी)	प्रति पृष्ठ	10.00		
17.	जन्म/मृत्यु/आय/जाति/मूल निवास प्रमाणपत्र	प्रति प्रमाणपत्र	50.00		
18.	भू-अधिकार पुस्तिका	प्रति पुस्तिका	50.00		

सरल क्रमांक	अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण	यूनिट	प्रति यूनिट फीस (रुपयों में)	भुगतान का तरीका	अभिलेख के प्रदाय के लिये समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	शिकायत, कथन तथा जांच रिपोर्टें	प्रति पृष्ठ	50.00		
20.	कोई अन्य अभिलेख जो ऊपर वर्णित न हो	प्रति पृष्ठ	10.00		

टीप:-नियम 102 के अधीन अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के तुरंत प्रदाय के लिए फीस उपरोक्त
अनुसूची के कॉलम (4) में विहित से दुगुनी प्रभारित की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2020

क्रमांक एफ-2-2/2020/सात/शा.7- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3)
के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-2/2020/सात/शा.7, दिनांक 06
जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता
है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

F 2-2-2020-VII-7

Bhopal, the 6th July, 2020

In exercise of the powers conferred by clause (iv) (iv-a), (iv-b), (v), (v-a), (vi), (vii), (xii), (xiii), (xiv), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxvii-a), (xxviii), (xxviii-a), (xxix) and (lxix) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this Department's (i) Notification No. 177-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960; (ii) Notification No. 178-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960; (iii) Notification No. 179-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960; (iv) Notification No. 180-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960; (v) Notification No. 235-IX -62, dated the 24-1-1963; (vi) Notification No. 181-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960 and Notification No. 1564-124/VII-N (Rules), dated the 16th March, 1961; (vii) Notification No. 182-6477-VII-N dated 6th January, 1960; (viii) Notification No. 3284-379 IX 66 dated 25-11-66 as mended by Notification No. 956-3550-IX, dated 16-4-1971, Published in Madhya Pradesh Rajpatra, pt.IV (Ga) dated 7-5-71 p. 169, (ix) Notification No. 436-1479-VIII-62 dated 5th March, 1962 published in Madhya Pradesh 7 Rajpatra dated 30th March, 1962, (x) Notification No. 1978-458-IX-61 dated 29-6-1962; (xi) Rules regarding 'Preparation of Record of Rights' made vide Notification No. 2498-VII-N-dated the 10th June, 1965 published in Rajyapatra dated 2nd July, 1965; (xii) Notification No. 184-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960; (xiii) Notification No. 1586-1682-VIII 69, dated 17-6-1970; (xiv) Notification No. 185-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960 as amended by Notification No. 218-3446-VII-N-1 dated the 20th January, 1966; (xv) Notification No. 186-6477-VII-N-1 (Rules) dated the 6th January, 1960; (xvi) Notification No. 188-6477-VII-N (Rules) dated the 9th January, 1960; and (xvii) The Madhya Pradesh Revenue Records Rules, 1959, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 2nd June, 2020 as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

RULES

Chapter I- General

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020.
- (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "approved layout" means the layout approved by a competent authority for approval of layout under land planning law;
 - (b) "block number" means the number assigned to a portion of land which is formed into or recognised as a block number under the Code;
 - (c) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
 - (d) "Competent authority for approval of layout" means the authority which is competent to approve layout of land under land planning law;
 - (e) "District Survey Officer" includes a Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer who is vested with the powers of District Survey Officer by the State Government under sub-section (2) of section 66;
 - (f) "Form" means a forms appended to these rules;
 - (g) "land planning law" means-
 - (i) the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and rules made thereunder;

- (ii) the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and rules made thereunder;
 - (iii) the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and rules made thereunder; and
 - (iv) the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and rules made thereunder;
- (h) "plot number" means a number assigned to a portion of land formed into or recognised as a plot number under the Code;
- (i) "survey number" means a number assigned to a portion of land formed into or recognised as a survey number under the Code and entered under an indicative number known as the khasra number;
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these rules; and
- (k) "Section" means a section of the Code.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

Chapter II Land Records

3. Preparation of Land Records.-

- (1) All Land Records specified in section 114 shall be prepared afresh in a land survey:

Provided that Bhu-Adhikar Pustikas shall be prepared after the land records prepared in a land survey are handed over to the Collector under rule 22:

Provided further that a Renumbering Register prepared in a land survey shall be a land record under clause (g) of sub-section (1) or clause (g) of sub-section (2) of section 114.

- (2) The Commissioner Land Records may, from time to time issue directions not inconsistent with the Code or rules made thereunder, for preparation, maintenance and preservation of land records and modification of any entry therein.
- (3) Without prejudice to the generality of provisions of sub-rule (1), whenever the State Government gives direction under sub-section (2) of section 108 for preparing the record of rights, such records of rights shall be prepared by following the procedure prescribed in Chapter III of these rules:

Provided that in such case the extent of land survey under rule 13 shall be limited to the preparation of such records of rights alone.

4. Preparation of Subsidiary Field Records.-

- (1) Following subsidiary field records shall be prepared for every village and sector-
 - (a) Khatawar Khatoni or Jamabandi;
 - (b) Village/Sector wise Bhumiswamiwar Khatoni;
 - (c) Register of government leases; and
 - (d) Register of boundary marks and reference points.
- (2) For the entire State a subsidiary field record called "State wise Bhumiswamiwar Khatoni" shall be prepared.

5. Preparation and scale of maps.-

- (1) For each village a village map, an abadi map and a block map shall be prepared as provided under sub-section (1) of section 107.
- (2) For each sector, a sector map shall be prepared as provided under sub-section (2) of section 107.
- (3) All maps shall be prepared in electronic form. Land survey shall be carried out in such a manner that it should be possible to prepare all maps up to a scale of 1:500. The maps so prepared shall be kept in the following scales-
 - (a) village map in a scale of 1:4000;
 - (b) abadi map or block map in a scale of 1:500; and
 - (c) sector map in a scale of 1:500.

6. Forms of Land Records.- Land Records shall be prepared in the following Forms-

- (a) Khasra (Field Book) of a village or a sector in Form I;
- (b) Masahati Khasra in Form II;
- (c) Record of Rights in Form III;
- (d) Bhu-Adhikar Pustika in Form IV;
- (e) Details of diverted land in Form V;
- (f) Renumbering Register in Form VI; and
- (g) (i) Record of unoccupied land;
 - (ii) Nistar Patrak;
 - (iii) Wajib-ul-arz; and
 - (iv) Record of land set apart for public purposes under Section 233-A;

prescribed for these in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi Tatha Wajib-ul-arz) Niyam, 2020.

Explanation-Masahati Khasra means Khasra of a village in hilly tract which has not been demarcated and for which no traverse data can be prepared.

7. Fee for Bhu-Adhikar Pustika.- Bhu-Adhikar Pustika shall be provided to Bhumiswami on payment of such fee as may be fixed by the State Government from time to time:

Provided that Bhu-Adhikar Pustika prepared for the first time after a land survey shall be given free of cost.

8. Forms of subsidiary field records.- The subsidiary field records shall be prepared in following Forms-

- (a) Khatawar Khatoni or Jamabandi in Form VII;
- (b) Village/Sector wise Bhumiswamiwar Khatoni in Form VIII;
- (c) Register of government leases in Form IX;
- (d) Register of boundary marks and reference points in Form X; and
- (e) Statewise Bhumiswamiwar Khatoni in Form XI.

9. Validity of old Forms during the transition period.- Land records and subsidiary field records prepared prior to the commencement of these rules shall continue to remain valid till they are replaced by the Forms prescribed in these rules.

Chapter III - Land Survey

Part A - Processes

10. **Notifications of land survey.-**
- (1) The Commissioner Land Records shall issue notification of commencement of land survey in a Tahsil or part thereof under section 64 in Form XII which shall be published in the official Gazette.
 - (2) The lands notified under sub-rule (1) shall be held to be under land survey from the date of said notification till a subsequent notification declaring the land survey to be closed is issued under rule 28 by the Commissioner Land Records in Form XIII which shall be published in the official Gazette.
11. **Personnel and agencies for land survey.-**
- (1) The Commissioner Land Records shall make available to District Survey Officer services of such personnel as he considers necessary to carry out land survey operations. The District Survey Officer may deploy these personnel and such other personnel of Revenue Department posted in the district in such manner as he thinks fit.
 - (2) The District Survey Officer may, under the control of Commissioner Land Records, engage one or more agencies to assist in land survey operations.
12. **Maps and land records to be handed over to land survey personnel.-** The Collector shall cause the maps and land records of area under land survey to be handed over to the District Survey Officer, or to the official authorised by him in this behalf.
13. **Extent of and manner of carrying out land survey.-**The District Survey Officer shall carry out survey, re-survey or map correction in the area under land survey to such extent and in

such manner as may be directed by the Commissioner Land Records.

14. Proclamation of commencement of land survey operations.-

(1) The District Survey Officer shall issue a proclamation of commencement of survey operations in area under land survey for the information of public in Form XIV.

(2) Such proclamation shall be issued in the manner prescribed in rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayaon Ki Prakriya) Niyam, 2019 and also published in two daily newspapers known to be widely circulated in such area and by such other means as the Commissioner Land Records may direct.

15. Measurement books.-

(1) All measurements of land survey operations shall be recorded in such measurement books, in such form and preserved for such period as may be directed by the Commissioner Land Records.

(2) The original measurements made by the subordinate survey staff shall be checked by the Officer-in-charge of the measuring establishment or such other officer in such manner and to such extent as the District Survey Officer may direct.

16. Preparation of draft land records.-The District Survey Officer shall prepare draft land records by using existing land records updated as per measurements and observations made during the land survey:

Provided that if no such land records are available, these shall be prepared on the basis of the measurements and observations made during the land survey.

17. Publication of draft land records and invitation of claims and objections.-

- (1) The District Survey Officer shall publish draft land records along with a proclamation in Form XV calling upon any person interested to file claims and objections, if any, before him on or before such date as specified in the proclamation which shall not be less than fifteen days from the date of its publication. The proclamation shall be issued in the manner prescribed in rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayaon Ki Prakriya) Niyam, 2019 and also published in two daily news papers known to be widely circulated in the area.
- (2) The District Survey Officer shall issue notice in Form XVI to each Bhumiswami and government lessee whose name appears in the draft record of rights along with extract of the draft record of rights pertaining to his holding or lease, as the case may be, and extract of the relevant maps calling upon him to file claims and objections, if any, before him on or before the last date for filing claims and objections specified in the proclamation.
- (3) The notice under sub-rule (2) shall be served in the manner prescribed for service of summons in Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayaon Ki Prakriya) Niyam, 2019 and the acknowledgment of service shall be taken in a register maintained in Form XVII. In case of joint holding it will be sufficient to serve notice to one of the holders.

18. Hearing of claims and objections.-

- (1) Any person who disputes any entry in the draft land records may file his claims and objections in Form XVIII before the District Survey Officer on or before the last date

for filing claims and objections specified in the proclamation issued under sub-rule (1) of rule 17.

- (2) The District Survey Officer shall make such enquiry into the claims and objections made and take such measurements of land as he thinks fit and pass orders on each claim and objection under the relevant provision of the Code:

Provided that no order shall be made against any party without giving him reasonable opportunity of hearing:

Provided further that any claim which amounts to an intimation of acquisition of rights under section 109 or application for partition of holding under section 178 or 178-A shall not be decided in these proceedings but shall be decided under separate proceedings under the relevant provisions of the Code and rules made thereunder.

19. Exercise of powers by District Survey Officer etc.-

During land survey District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer shall exercise powers as per provisions of section 66.

20. Preparation, publication and preservation of final land records.-

- (1) The District Survey Officer shall, after deciding all claims and objections make necessary changes in the draft land records and prepare final land records in electronic form.
- (2) The District Survey Officer shall publish the final land records along with a notice in Form XIX on such website as may be directed by the Commissioner Land Records.
- (3) The final Land Records shall be authenticated and preserved in such manner as may be directed by the State Government from time to time.

- 21. Preparation of list of pending cases.-**
- (1) The District Survey Officer shall prepare a list of all such cases in **Form XX** in which decision of any court which will affect the entries in land records is received after hearing of claims and objections.
 - (2) The District Survey Officer shall prepare a list of cases pending in his court at the time of preparation of final land records in **Form XXI**.
- 22. Handing over of final land records, other survey records and revenue cases.-** The District Survey Officer shall hand over to the Collector or the officer authorised by him-
- (a) final land records;
 - (b) other survey records;
 - (c) list and records of all revenue cases decided by him during land survey; and
 - (d) lists and records of cases prepared under **sub-rule (1) and (2) of rule 21**.
- 23. Availability of copies of final land records.-** Copies of the final land records shall be kept in District Record Room, Tahsil Record Room and with the concerned Patwari or Nagar Sarvekshak, as the case may be. These shall also be kept in such other offices or with such other authorities as may be prescribed under the Code or rules made thereunder or as may be directed by the State Government.
- 24. Custody of other survey records and decided revenue cases.-** Other survey records and records of decided revenue cases shall be kept in the District Record Room or Tahsil Record Room as may be directed by the Collector.
- 25. Disposal of pending revenue cases.-** The lists and records of pending cases received by the Collector or the officer authorised by him under **rule 22** shall be sent to the competent revenue court for further action.

26. **Time limit for completion of survey proceedings.-** The land survey of a village or sector or part thereof shall normally be completed within eight months of the date of issue of the proclamation of commencement of land survey operations issued under rule 14.
27. **Action to be taken where survey is not completed within the prescribed period.-** Where the land survey is not completed within the period prescribed under rule 26, the matter shall be reported to the District Survey Officer and Commissioner Land Records who may take such action, as they deem fit, to complete the land survey expeditiously.
28. **Report to the Commissioner Land Records and issue of notification of closure of land survey.-** On receipt of the report of the District Survey Officer, the Commissioner Land Records shall issue a notification in Form XIII declaring the land survey to be closed which shall be published in the official Gazette.
29. **Preparation and distribution of Bhu-Adhikar Pustika.-** After the closure of the land survey each Bhumiswami shall be given, free of cost, a Bhu-Adhikar Pustika for his holding. A record of persons to whom Bhu-Adhikar Pustika is given shall be maintained in Form XXII:

Provided that in case of a joint holding only one Bhu-Adhikar Pustika shall be so prepared and given.

Part B - Preparation of Maps

30. **Features to be shown on maps.-**The maps shall be prepared, in accordance with the survey, re-survey or map correction, as the case may be, and shall show survey numbers, block numbers, plot numbers, boundaries, boundary marks, traverse, sub-traverse and primary, secondary and tertiary geodetic triangulation station marks found during the survey or map

correction operations and such topographical features as the Commissioner Land Records may direct.

- 31. Boundary lines of adjoining villages or sectors to be compared.-** Boundary lines of adjoining villages or sectors shall be compared and any serious mistake or discrepancy shall be rectified after such survey as may be necessary. At the same time it shall be ensured that topographical features crossing village or sector boundary are shown in the same position in the maps of all villages or sectors concerned.
- 32. Roads, canals and distinct parcels of land to be brought on map.-** All parcels of land whose feature or ownership is distinct from the adjoining land such as roads, canals, railway line, etc. which have come into existence since the previous revenue survey or land survey, shall be surveyed and brought on the map.
- 33. When the shape or area in map and on field are not same.-** When the shape or area of a survey number, block number or a plot number on field is not same as in map, the map shall be corrected in accordance with the boundary as agreed upon by the parties concerned or as determined by the Assistant Survey Officer or Tahsildar, as the case may be.

Part C - Formation, division and amalgamation of survey numbers, block numbers and plot numbers

- 34. Division of land into survey numbers, block numbers and plot numbers.-**
- (1) All land in a village or a sector shall be divided into survey numbers and block numbers.
 - (2) Every survey number shall be a contiguous parcel of land formed in the-
 - (a) land assessed for agricultural purpose under section 59;

- (b) land held under a lease given by the State Government for agricultural purpose; and
 - (c) service land.
- (3) Every block number shall be a contiguous parcel of land formed in the-
- (a) land assessed for a purpose other than agricultural purpose under section 59;
 - (b) land held under a lease given by the State Government for a purpose other than agricultural purpose;
 - (c) abadi land or a land which was abadi of the constituent village of an urban area; and
 - (d) unoccupied land including the land set apart for the exercise of Nistar rights under section 237 or the land set apart for public purposes under section 233-A.
- (4) Each block number shall consist of one or more plot numbers and one plot number shall not be a part of more than one block number.
- (5) All survey numbers, block numbers and plot numbers existing at the time of coming into force of these rules shall continue to be recognised as survey numbers, block numbers and plot numbers, as the case may be, till they are modified or cancelled in accordance with the provisions of these rules.

35. Formation of survey numbers during land survey.-

- (1) During land survey, the District Survey Officer shall assign a separate survey number to every contiguous parcel of land which is-
- (a) held under a separate title and assessed for agricultural purpose under section 59;
 - (b) held under a separate lease given by the State Government for agricultural purpose; or

(c) service land;

and for this purpose may recognise existing survey numbers, reconstitute survey numbers, form new survey numbers, divide or amalgamate existing survey numbers or convert block numbers or part thereof into survey numbers.

- (2) The existing survey numbers shall be retained as they stand unless their renumbering is considered necessary, in which case they shall be renumbered afresh.
- (3) No new survey number shall be formed with an area of less than 0.02 hectare.
- (4) The numbers so retained or altered shall be called survey numbers.

36. Formation of block numbers during land survey.-

- (1) During land survey, the District Survey Officer shall, subject to rule 34, form as many block numbers as thinks fit on the basis of some common features such as locality, land use, administrative unit, etc. For this purpose he may recognize existing block numbers, reconstitute block numbers, form new block numbers, divide or amalgamate existing block numbers or convert survey numbers or part thereof into block numbers.
- (2) Existing block numbers shall be retained as they stand unless their renumbering is considered necessary, in which case they shall be renumbered afresh.
- (3) The numbers so retained or altered shall be called block numbers.

37. Formation of plot numbers during land survey.-

- (1) During land survey the District Survey Officer shall assign a separate plot number to every contiguous parcel of land within a block number which is-
 - (a) held under a separate title and assessed for a purpose other than agricultural purpose under section 59;

- (b) held under a separate lease given by the State Government for a purpose other than agricultural purpose;
- (c) recognised as a plot within abadi including the plots of the layout prepared under the Madhya Pradesh Bhu Rajasva Sanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi Tatha Wajib-ul-arz) Niyam, 2020; or
- (d) unoccupied land classified under a separate head or set apart for a distinct purpose specified in sub-section (1) of section 237 or for a distinct public purpose under section 233-A.

Explanation I. If a land in clause (a) or (b) above is held for more than one purposes whose boundaries can be clearly demarcated, separate plot numbers shall be formed for each such purpose.

Explanation II. (1) Public land such as roads, parks, open spaces in abadi, public buildings and campuses, nallahs, rivers, tanks, hillocks and vacant spaces in the unoccupied land shall be formed into as many plot numbers as may be necessary.

- (2) Competent authority for approval of layout shall furnish copies of approved layouts in the land under survey to the District Survey Officer on his requisition. Plots of such approved layouts shall be deemed to be plot numbers under the Code and no change in their layout shall be recognised without the approval of such authority:

Provided that if such authority does not furnish copies of approved layout within thirty days of making of requisition, the District Survey Officer may recognise plots of the layouts submitted to him by any other person or form such plot numbers as he thinks fit.

- (3) Existing plot numbers shall be retained as they stand unless their renumbering is considered necessary, in which case they shall be renumbered afresh.
 - (4) Subject to the provisions of relevant land planning law no new plot number shall be formed with an area of less than 9 square metres.
 - (5) The numbers so retained or altered shall be called plot numbers.
- 38. Numbering of survey numbers, block numbers and plot numbers during land survey.-**
- (1) During land survey all survey numbers and block numbers of a village or sector shall be assigned unique numbers.
 - (2) Every plot number shall be a composite number consisting of two parts. The first part shall be the block number to which the plot number belongs and the second part shall be a unique number.
- 39. Alluvial land.-**
- (1) If the area of alluvial land does not exceed half hectare, it shall be formed into a sub-division of an adjoining survey number till the subsequent land survey and the Bhumiswami of such adjoining survey number shall be entitled to use of such alluvial land as per provisions of section 203. In the subsequent land survey the said sub-division shall be amalgamated with adjoining survey number.
 - (2) If the area of alluvial land exceeds half hectare, it shall be formed into a new survey number and such land shall vest in the State Government.
- 40. Formation, division and amalgamation of survey numbers when area is not under land survey.-**
- (1) When an area is not under land survey, the Collector may, in accordance with foregoing rules, reconstitute survey numbers, form new survey numbers, divide or amalgamate

existing survey numbers or convert block numbers or part thereof into survey numbers.

- (2) No new survey number shall be formed with an area of less than 0.02hectare.
- (3) Two or more contiguous survey numbers may be amalgamated, provided that tenure holders of each survey number are same.
- (4) Such reconstituted, formed, divided or amalgamated survey numbers shall be assigned unique numbers. In the subsequent land survey these survey numbers shall be renumbered afresh:

Provided that the old survey numbers or block numbers shall not be struck off from khasra but shall be shown without area and cross referenced to the new survey numbers and shall be extinguished during the subsequent land survey.

- (5) A survey number may be cancelled only when it ceases to be a part of village or sector area.

41. Formation, division and amalgamation of block numbers when area is not under land survey.-

- (1) When an area is not under land survey, the Collector may, in accordance with foregoing rules, reconstitute block numbers, form new block numbers, divide or amalgamate existing block numbers or convert survey numbers or part thereof into block numbers.
- (2) No block number shall be divided in such a way which will cause one plot falling into more than one block numbers.
- (3) Two or more block numbers may be amalgamated, if they are contiguous.
- (4) Such reconstituted, formed, divided or amalgamated block numbers shall be assigned unique numbers. In the

subsequent land survey these block numbers shall be renumbered afresh:

Provided that the old block numbers or survey numbers shall not be struck off from khasra but shall be shown without area and cross referenced to the new block numbers and shall be extinguished during the subsequent land survey.

- (5) A block number may be cancelled only when it ceases to be a part of village or sector area.

42. Formation, division and amalgamation of plot numbers when area is not under land survey.-

- (1) When an area is not under land survey, the Collector may, in accordance with foregoing rules, reconstitute plot numbers, form new plot numbers, divide or amalgamate existing plot numbers as per the approval of the competent authority for approval of layout.
- (2) Such reconstituted, formed, divided or amalgamated plot numbers shall be assigned unique numbers. In the subsequent land survey these plot numbers shall be renumbered afresh:

Provided that the old plot numbers shall not be struck off from the land records but shall be shown without area and cross referenced to the new plot numbers and shall be extinguished during the subsequent land survey.

Part D – Formation, amalgamation and division of villages and sectors

43. Formation, amalgamation and division of villages.-

- (1) A cluster of survey numbers and block numbers situated in a non-urban area shall be grouped to form a village so that-
- (a) there is only one village site or abadi, or if there are

- more than one abadi sites, those are located close to each other;
- (b) community rights over unoccupied lands are enjoyed in common by cultivators of all such area to be constituted as a village; and
- (c) the area of a village does not exceed eight hundred hectares except when this may result in the area of another village becoming less than eighty hectares.
- (2) Two or more villages may be amalgamated provided the following conditions are satisfied-
- (a) they are adjacent and contiguous;
- (b) the village sites or abadis adjoin or there is only one village site or abadi and other villages are uninhabited;
- (c) community rights over unoccupied lands are enjoyed in common by cultivators of all the villages; and
- (d) area of the new village formed after amalgamation does not ordinarily exceed eight hundred hectares.
- (3) A village may be divided into two or more villages, provided that one or more of the following conditions are satisfied, namely:-
- (a) the area of the existing village is too big to be conveniently manageable as a single unit;
- (b) community rights are enjoyed over unoccupied lands situated in distinct and separate units;
- (c) in the case of an existing village comprised partly or wholly of old uninhabited villages, one or more of such villages have since developed into stable inhabited areas; and
- (d) there are other reasons of a similar nature:

Provided that no division of a village shall be allowed which may result in formation of a village with any of the following conditions—

- (a) area of less than eighty hectares;
- (b) population less than two hundred according to the last census; or
- (c) distance of less than two kilometres between the abadis of the new and old villages.

- (4) On such amalgamation or division all survey numbers, block numbers and plot numbers of each newly formed village shall be renumbered afresh and new sets of land records shall be prepared. Such amalgamation or division shall take effect from the beginning of the next revenue year.

44. A sector notified as a non-urban area.- If a sector of an urban area or a part thereof is notified as a non-urban area, it shall be formed as a village. The land records of such sector or part thereof shall become the land records of the newly formed village. The Sub-Divisional Officer shall prepare a nistar patrak for such village under section 234 keeping in mind the lands reserved for public purposes under section 233-A, if any.

45. Formation, amalgamation and division of sectors.-

- (1) A cluster of contiguous survey numbers, block numbers and plot numbers situated in an urban area shall be grouped to form a sector.
- (2) Each sector shall be generally so formed as to be coterminous with one or more wards of the urban local body. However, if this is not feasible due to any reason, following factors shall be taken into consideration in formation of sectors-
 - (a) boundaries of the wards of the urban local bodies:

- (b) permanent or prominent features of terrain such as water bodies, hills, roads, canals, etc.; and
 - (c) area of the sector, which should be between 40 to 200 hectares.
- (3) Two or more sectors as parts thereof to form new records may be amalgamated or a sector may be divided into two or more sectors. On such amalgamation or division all survey numbers, block numbers and plot numbers of each newly formed sector shall be renumbered afresh and new sets of land records shall be prepared. Such amalgamation or division shall take effect from the beginning of the next revenue year.

Part E - Other provisions of land survey

46. **Assessment on all lands.-** The District Survey Officer shall make assessment on all lands to which the land survey extends in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Rajsva ka Nirdharan Tatha Punarnirdharan) Niyam, 2018 whether such lands are liable to the payment of land revenue or not.
47. **Development of land in contravention of land planning law.-** The objective of preparation of land records and their updating under these rules is to create and maintain a database which will be a true representation of field situation. Therefore, any action taken by District Survey Officer, Collector, any other Revenue Officer or any person working under their instructions under these rules shall not condone any violation nor deemed to have condoned such violation of land planning law by any person.

Chapter IV

Boundaries and Boundary Marks

48. **Requisition of assistance in preparation of maps and record of rights.-** Notice issued by a Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak or Patwari to a holder of land and any holder in abadi under section 120 shall be in Form XXIII and shall specify the date on which noticee is required to appear on the spot. If the noticee fails to appear on the date fixed the Revenue Officer, Revenue Inspector, Nagar Sarvekshak or Patwari may proceed *ex-parte* in the matter.
49. **Demarcation of village boundary.-**
- (1) Boundary of a village shall be demarcated with minimum 10 boundary marks whose specifications shall be as given in **Schedule-I**.
 - (2) The specifications of the boundary marks fixed under sub-section (2) of section 124 shall be as given in **Schedule-I**.
 - (3) The Commissioner Land Records may, from time to time, issue directions for locating, fixing and maintaining boundary marks.
50. **Boundary marks between land of a holder and unoccupied land.-** The boundary between land of a holder and unoccupied land shall be demarcated under section 127 by fixing stones or planting trees. Fixing of stones or planting of trees shall be done on the private land adjoining such unoccupied land. The specifications of the stones shall be as given in **Schedule-I**.
51. **Manner of publication of order under section 135.-**
- (1) Order of Collector passed under sub-section (1) of section 135 shall be published in the following manner:-

- (i) a copy of it shall be affixed to some place of public resort in the village;
 - (ii) it shall be proclaimed in the village by beat of drum ;
and
 - (iii) a copy of it shall be sent to each of the person affected by the acquisition.
- (2) A copy of the order shall be sent to the Tahsildar who shall cause necessary changes to be made in relevant land records.

Chapter V

Duties of Patwari, Nagar Sarvekshak and Revenue Inspector

Part A

Duties of Patwari and Nagar Sarvekshak

52. In this part the term "Patwari" includes Nagar Sarvekshak.
53. **Daily diary and monthly report.-**
- (1) Every Patwari shall maintain a daily diary and send monthly report in such Form as may be prescribed from time to time by the Commissioner Land Records in which he shall enter from day to day the occurrences relating to his duties.
 - (2) Patwari shall transmit his daily diary and monthly report to the Tahsildar.
54. **Keeping records in good condition.-** Patwari shall keep in safety and in good condition all copies of land records entrusted to him and any record including digital records (e-basta) which he may be required under these rules or the explanatory instructions thereunder to keep or which may be made over to his charge by revenue officers.

- 55. Inspection of records by interested person.-** Patwari shall allow any person having an interest in any record under his custody to inspect such record including the record of rights and to make hand written copies and notes or take photographs using camera as provided under rule 93.
- 56. Sending copies of land records on the order of Tahsildar.-** Patwari shall when so ordered by Tahsildar, prepare, attest and transmit electronically or through a tahsil peon copies of land records in his custody.
- 57. Report of specific events.-**
- (1) Patwari shall promptly send report to Tahsildar in writing or by electronic mode on the following occurrences:-
- (a) death without heirs of any Bhumiswami which may involve escheat of holding to the State Government;
 - (b) death of or change among kotwars or patels and the prolonged or permanent absence of kotwars or patels from their duties;
 - (c) encroachment on abadi, service land, land set apart for exercise of Nistar rights, Wajib-ul-arz, land set apart for public purpose under section 233-A, public way, revenue forest or any other unoccupied land or on any land which is the property of government or any authority, body corporate, or institution constituted or established under any State enactment or land belonging to religious entity managed by Collector;
 - (d) infringement of the conditions under which any grant or lease of land is held from the State Government;
 - (e) destruction or decay of boundary or survey marks and alterations of village boundaries;
 - (f) the condition of crops;

- (g) any obstruction to the lawful exercise of any right recorded in the Nistar Patrak or Wajib-ul-arz;
- (h) the abandonment of land by Bhumiswami;
- (i) the permanent deterioration of agricultural land by diluvion, deposit of sand or waterlogging;
- (j) the permanent failure of the water supply from which land is irrigated;
- (k) the diversion of agricultural and the abadi land to any purpose other than that to which it was appropriated and its subsequent diversions from one non-agricultural purpose to another.

(2) For the purpose of reporting encroachments under clause (c) of sub-rule (1), Patwari shall maintain a Register of Encroachment in Form XXIV. He shall prepare a sketch of each encroachment detected by him according to scale and transmit it to Tashildar along with encroachment report. He shall fill in relevant columns of the Register on receipt of intimation regarding final order passed by the Revenue Officer in the encroachment cases reported by him.

58. Immediate report.- Patwari shall immediately send report in writing or by electronic mode to the Tahsildar on the following occurrences -

- (a) any calamity such as hail, locusts, frost, fire, flood, epidemic disease of man or cattle or failure of crops from any cause;
- (b) any infringement of the rules made under sections 240 and 241;
- (c) the extraction or removal of minerals from a quarry without lawful authority.

Explanation- For the purpose of this rule, "Minerals" include any sand or clay which the State Government may declare to have a commercial value or to be required for any public purpose, no royalty is recovered on stones not quarried for sale, required for (a) construction or repairs of wells or other agricultural work or (b) for construction or improvement of the dwelling houses of agriculturists.

- 59. Intimation regarding acquisition of rights in land.**— Patwari shall maintain a Register of reports of acquisition of rights or interest in land and send to Tahsildar intimation of acquisition of any right or interest in land for mutation in land records under sub-section (2) of section 110 in the Forms and in the manner prescribed under the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Abhilekhon Mein Namantaran) Niyam, 2018.
- 60. Siway Income Register.**— Patwari shall maintain Siway Income Register in the form prescribed by the State Government. He shall report sources of Siway income to Tahsildar before 30th June each year giving the probable amount of income from each plot.
- 61. Survey, inspection and report.**— Patwari on orders of a revenue Officer shall make survey, field inspection, recording of crops, inspection and revision of maps or reports relating to rent or revenue or circumstances of cultivation.
- 62. Compliance of Collector's orders.**— When ordered by the Collector, Patwari shall-
- (i) perform such duties and prepare and submit such returns and statements in connection with scarcity and famine operations in his halka, as may, from time to time, be prescribed by the State Government; and
 - (ii) perform any other duties as directed by the Collector.

- 63. Duties ordered by revenue officer.-** Patwari shall, when ordered by a revenue officer prepare reports, statements, returns or lists relating to-
- (a) assessment of compensation payable for land acquisition;
 - (b) damage to crops caused by camps of exercise or other military maneuverers; or
 - (c) any revenue case pending before a revenue court.
- 64. Preparation of returns of farm prices, wages and rural retail prices.-** Patwaris of selected centers, shall prepare weekly returns of farm (harvest) prices and monthly returns of agricultural wages and rural retail prices. They shall also prepare statements of land utilisation of villages selected for crop cutting surveys. The returns and statements shall be prepared in accordance with the instructions issued by the Commissioner Land Records from time to time.

Part B

Duties of Revenue Inspector

- 65. Superintendence of Patwari's work.-** Revenue Inspector shall be responsible for the superintendence and inspection of the work of the Patwaris of his circle and for enforcing general discipline amongst them. He shall also inspect the work of Patwaris in randomly selected villages by surprise as per instructions issued by the Commissioner of Land Records from time to time.
- 66. Instruction to Patwaris.-** Revenue Inspector shall be responsible for the instructions to the Patwaris of his circle in surveying, map drawing, area calculation and Patwari rules and instructions, if any.

- 67. Accurate preparation and maintenance of land records and subsidiary field records by Patwaris.-** Revenue Inspector shall be responsible for the accurate preparation and maintenance of the land records and subsidiary field records of the villages by the Patwaris in his circle and of return of farm (harvest) prices and rural and agricultural wages and rural retail prices. In particular, he shall ensure accuracy in the preparation of the field records by regularly checking and testing the work in the manner prescribed in instructions issued from time to time by the Commissioner Land Records.
- 68. Responsibility of Patwaris in carrying out their other duties.-** Revenue Inspector is responsible for ensuring that the Patwaris of his circle carry out other duties imposed upon them under sub-section (2) of section 104 of the Code and the explanatory instructions thereunder. In particular, he should see that the Patwaris in his charge carry out a careful and thorough comparison of registers maintained by Patel and Kotwar, that they record definite and correct entries and submit detailed reports in respect of discrepancies noticed during such comparison.
- 69. Proper repair to traverse and boundary marks, etc.-** Revenue Inspector should see that all the traverse stations, boundary marks, survey marks and tri-junction pillars, as well as primary, secondary and tertiary group control points in the villages of his circle are kept in proper repairs. He shall report to Tahsildar all instances in which repairs are neglected and also the names of persons responsible for the maintenance of the marks, etc.
- 70. Visits to Patwari Halkas.-** (1) Revenue Inspector shall visit each Patwari halka in his charge once in a month.

- (2) Revenue Inspector shall periodically check and ensure updation of digital records by Patwaris and send report to Tahsildar and Superintendent of Land Records.
- 71. Maintenance of diary.-** Revenue Inspector shall maintain a diary in such form, as may be prescribed, from time to time, by the Commissioner Land Records.
- 72. Report to Tahsildar regarding crops, rainfall, outbreak of cattle diseases, etc.-** (1) When called upon to do so Revenue Inspector shall submit report to Tahsildar, in such form as may be prescribed by the Commissioner of Land Records, on the condition of crops, rainfall, prices of food grains and fodder and the condition of the people in his circle. A copy of the report shall also be sent to the Superintendent of Land Records.
- (2) The occurrence of any calamity, the outbreak of cattle disease or anything unusual affecting the condition of the people, crop or cattle shall be reported at once to Tahsildar.
- (3) Revenue Inspector shall report to Tahsildar any permanent failure of water supply from which land is irrigated and the permanent deterioration of any land from diluvion, sand deposit or water-logging.
- 73. Crop cutting experiments.-** Revenue Inspector shall every year conduct crop cutting experiments using modern technique as prescribed by the Commissioner of Land Records.
- 74. Survey to be done by Revenue Inspector.-** Revenue Inspector shall, whenever required to do so by any revenue officer, conduct any survey or measurements or prepare any maps or superintend any survey operations prescribed under these rules.
- 75. Local enquiry.-** Revenue Inspector shall, when required by any Revenue Officer, make any local inquiry in respect of

correctness of entries in village records, and collect information relating to land or agriculture:

Provided that he shall not be called upon without the permission of Collector, to make any investigation which would usually be referred to a commission by order of a Civil Court.

76. **Submission of crop forecasts and agricultural price returns.-** Revenue Inspector shall be held responsible for the correct and punctual submission of crop forecasts and agricultural price returns of his charge, for such crops, on such dates and in such forms, as may be, from time to time, prescribed by the Commissioner Land Records to Superintendent of Land Records.
77. **Detecting and reporting of the cases of diversion of agricultural land to non-agricultural purposes.-** Revenue Inspector shall be responsible for detecting and reporting to the Tahsildar every case of diversion of agricultural and abadi land to any purpose, other than that to which it was appropriated and any subsequent diversion of the land from one non-agricultural purpose to another.
78. **Checking of the maps and registers.-** Revenue Inspector shall check map of abadi prepared in the manner prescribed by the Commissioner of Land Records. He shall also check the digital registers prepared in the prescribed manner by Patwari of the layout of open sites of plots available for building purposes and of reserved plots.
79. **Measuring land and fixing boundary marks.-** Revenue Inspector shall measure survey number or block number or plot number or their sub-division and also cause to be fixed boundary marks thereon, when ordered to do so by Tahsildar.

- 80. Checking of report.-** Revenue Inspector shall check during girdawari inspection, report of the Patwari regarding change in area of a holding caused by alluvion or diluvion.
- 81. Previous permission to employ Revenue Inspector on work other than land records.-** (1) Revenue Inspector shall not be employed on any duty other than those prescribed in these rules or which devolve upon him under other rules made by the State Government and he shall not be called away from his prescribed work without the permission of the Commissioner of Land Records.
- (2) In case of emergency, where it is impracticable to obtain the previous permission of the Commissioner of Land Records, the Collector may grant the permission and immediately report the fact to the Commissioner of Land Records.
- 82. Duties ordered by revenue officers.-** Revenue Inspector shall, when ordered by revenue officer prepare such statements, returns or lists or perform any other duties, as directed by Collector.

Chapter VI

Inspection and supply of certified copy of records

Part A

Records Management

- 83. "Record" defined.-** In this Chapter, unless the context otherwise requires, "record" means any of the following records and includes record in electronic form-
- (a) record of a revenue case or any other record or register in the custody of a Revenue court; and
- (b) a land record or record of a revenue case or any other record deposited in the Record Room-cum-Copying Section.

- 84. Record Room cum Copying Section.-** (1) A Record Room-cum- Copying Section shall be established in every office specified in Schedule – II.
- (2) Following categories of records shall be kept in the Record Room-cum-Copying Section established in an office other than the Board of Revenue-
- (a) records of revenue cases decided and ordered to be deposited in the Record Room-cum-Copying Section by a revenue court;
 - (b) such land records as may be directed by the Commissioner of Land Records; and
 - (c) such other records as may be directed by the Principal Revenue Commissioner or Commissioner Land Records.
- (3) Following categories of records shall be kept in the Record Room- -cum-Copying Section established in the Board of Revenue-
- (a) records of revenue cases decided and ordered to be deposited in the Record Room-cum-Copying Section by a bench of the Board of Revenue; and
 - (b) such other records as may be directed by the President, Board of Revenue or Member authorised by him.
- (4) The manner of sending records to Record Room-cum-Copying Section, manner and period of preservation of records and the manner of their destruction shall be as per the directions issued from time to time-
- (a) in case of records kept in the Board of Revenue, by the President, Board of Revenue; and
 - (b) in other cases, by the State Government.

85. Records Administrator.- (1) The head of office shall appoint an officer as Records Administrator for the Record Room-cum-Copying Section established in his office:

Provided that a revenue officer not below the rank of Naib-Tahsildar or Assistant Superintendent Land Records shall be appointed as Records Administrator in an office other than the Board of Revenue or Commissioner.

(2) Records Administrator shall be responsible for compliance to the rules of this Chapter and directions issued thereunder.

86. Head Copyist-cum-Record Keeper.- (1) The head of office shall appoint an employee of his office as Head Copyist-cum-Record Keeper for the Record Room-cum-Copying Section established in his office.

(2) The Head Copyist-cum-Record Keeper shall work under the supervision and control of the Records Administrator.

(3) The Head Copyist-cum-Record Keeper shall be responsible for custody and preservation of records kept in the Record Room-cum-Copying Section and proper upkeep of its premises.

Part -B

Inspection of Records

87. Inspection of records.- Subject to the provisions of this Part all records shall be open to inspection.

88. Permission for inspection of revenue case in revenue court.-

(1) The record of a pending or decided revenue case in the custody of a revenue court or other record or register of such court relating to such Revenue case may be inspected free of charge by a party thereto or by his legal practitioner or

recognised agent or by such legal practitioner's recognised clerk if authorised by his master.

- (2) Any other person may inspect such record by obtaining the permission of the presiding officer of such revenue court or, in his absence, by presiding officer of any other revenue court present at headquarter, by presenting an application stating therein the nature of the interest in such record of which inspection is sought. If permission is granted then the inspection shall be allowed free of charge.
- (3) The provisions of sub-rules (2), (3), (4) and (5) of rule 92 shall also apply to inspections under this rule.

Explanation – For the purpose of this rule, record of a pending case includes the record of a decided case called for in connection with such pending case.

- 89. Fee for inspection in Record Room-cum-Copying Section.-** Inspection of records deposited in the Record Room-cum-Copying Section shall be allowed on payment of inspection fee as prescribed in Schedule III. If inspection is not made within one month of payment, the inspection fee shall need to be paid afresh.
- 90. Inspection for government purpose.-** Inspection of any records by an officer of the State Government or a person duly authorised in this behalf or by an officer of a Court of Wards for official purpose shall be allowed without an application and free of charge.
- 91. Inspection Book.-** An Inspection Book shall be kept by the Reader of each revenue court and by the Head Copyist-cum-Record Keeper in Form XXV and every person desiring inspection shall fill it.

- 92. Inspection procedure.**— (1) The inspection fee as per Schedule III shall be paid in advance in such manner as may be directed by the State Government from time to time and shall in no case be refunded.
- (2) The inspection shall be made at such time, in such place and in the supervision of such official as the presiding officer of the revenue court or Records Administrator, as the case may be, may direct.
- (3) The applicant shall not be permitted to carry pen and ink during inspection. He may use pencil and paper for making any notes or copies from the record and use camera to take photographs of those records whose inspection is permitted. He shall not make any markings, alterations, modifications or cause damage to records.
- (4) Any person infringing sub-rule (3) shall be liable for penal action in law and may also be debarred by the order of the presiding officer of the revenue court or the Records Administrator, as the case may be, of the right of inspection for such period as he may direct.
- (5) It shall be the duty of the official supervising the inspection to see that no alterations are made in the records, or no papers are extracted therefrom, and that it is returned in its original condition when the inspection is over. The inspection must be completed and the record returned within the office hours of the day on which the record was taken out for examination.
- 93. Inspection of records in the custody of Patwari or Nagar Sarvekshak.**— Patwari or Nagar Sarvekshak shall allow, free of cost, any person having an interest in any records under his custody to inspect such records including the record of rights and to make hand written copies and notes or take photographs using camera.

Part-C**Issue of certified copies of records listed in Schedule IV**

- 94. Issue of certified copies of records listed in Schedule IV and available in electronic form.-** (1) Certified copy of records which are listed in Schedule IV and are available in electronic form shall be issued through authorised service provider or through authorized web portal as may be directed by the Commissioner of Land Records from time to time.
- (2) The fee for copy of such records shall be charged at the rates prescribed in Schedule IV and shall be paid in such manner as may be directed by the State Government from time to time:
- Provided that no fee shall be charged for copy required by officers of the State Government or of a Court of Wards for official use.
- (3) Such portion of the fee shall be paid to authorised service provider and in such manner as may be directed by the State Government from time to time.
- (4) The manner of submission of application, its scrutiny, preparation of copy, payment of fee, attestation of copy and its delivery and maintenance of accounts shall be as per the directions issued by the Commissioner of Land Records from time to time.
- (5) The Commissioner of Land Records may, from time to time, authorise service providers for the purpose of this rule under such terms and conditions as he deems fit.

Part - D**Issue of certified copies of other records**

95. Issue of certified copies of other records.- Certified copy of records other than those covered under Part-C shall be issued according to the provision of this Part.

96. Application for certified copy.- (1) Application for certified copy may be presented in person or by an agent or a legal practitioner or sent by post to the Head Copyist-cum-Record Keeper of the office where such records are kept:

Provided that application for supply of copy of records through authorised service provider or through authorized web portal shall be made in the manner provided under rule 105.

(2) The application shall be submitted in Form XXVI. The applicant shall pay in advance fee as specified in Schedule -V in such manner as may be directed by the State Government and attach proof of payment of fee along with his application. As far as possible exact amount of fee required to be paid shall be calculated and paid by the applicant at the time of submission of application itself. In case it is not possible to determine the exact amount of fee the applicant shall pay such amount in advance which is likely to cover the fee as determined by the Head Copyist-cum-Record Keeper.

97. Exemption from payment of fee.- Certified copies required by officers of State Government or of a Court of Wards for official use shall be made free of cost.

98. Registration of application for certified copy.- (1) Every application for certified copy on presentation shall be summarily examined by the Head Copyist-cum-Record Keeper and if any mistake, defect or shortcoming is detected *prima facie* he shall get the same rectified by the applicant then and there.

(2) The Head Copyist-cum-Record Keeper shall register every application received by him in Register of applications in Form XXVII and issue acknowledgment in Form XXVIII.

99. Scrutiny of application.- (1) Before preparation of certified copy, every application shall be minutely scrutinized. Defect detected, if any, including deficiency in fee, shall be notified on such web portal as may be directed by the Principal Revenue Commissioner. If the phone number and email address of the applicant are available he may be informed over phone or by text messaging on his phone or email.

(2) Where the defect is not cured within seven days of such notification and intimation, the application shall be filed by the Records Administrator and the fee paid shall be forfeited.

100. Certified copy of a scanned or photostat document.-(1) Subject to sub-rule (2) no certified copy of a document other than an original document or a scanned document stored in a State Government repository, shall be granted.

(2) Copy of a photostat copy or a scanned document filed in a revenue case may be granted in the same manner as a certified copy; with following endorsement-

"Certified copy of photostat/ scanned copy, as filed in case no..... in the court ofby (name)(status in the case).

Head Copyist-cum-Record Keeper"

101. Preparation and delivery of certified copy.- (1) If after scrutiny the application is found in order or defect therein rectified, as the case may be, the Head Copyist-cum-Record Keeper shall have the certified copies prepared for delivery to the applicant.

- (2) Where the records are in the custody of a revenue court or any officer, the Head Copyist-cum-Record Keeper shall forward a copy of the application to the revenue court or officer concerned who shall permit making of copy in the supervision of a person authorised by him. Such person shall ensure that the records are not tampered with and returned back in good condition.
- (3) On the copy prepared the Head Copyist-cum-Record Keeper shall affix labels to denote the payment of fee.
- (4) Subject to rule 102 applications shall be disposed, as far as possible, on a first come first serve basis.
- (5) Following endorsement shall be made on the back of last page of the certified copies—

Application No	Application received on	Applicant told to appear on	Applicant appeared on	Application (with record or without record for further or correct particulars) sent to the record room on	Application received from record room (with record or without record for further or correct particulars) on
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Applicant given notice for further or correct particulars on	Applicant given notice for further funds on	Notice in column (7) or (8) complied with on	Copy ready on	Copy delivered on or sent on	Fee realised
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Copyist

Comparer

Head Copyist-cum-Record Keeper

- (6) If the copy is of a kind requiring a stamp under Article 24, Schedule I-A to the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), it shall be prepared on an impressed non-judicial stamp paper of the

- value required and shall, if not finished on the front thereof, be completed on an ordinary plain sheet or sheets. If the copy is finished on the non-judicial stamp itself, the endorsements required by sub-rule (5) shall be made on the back of the stamp. Labels to denote payment of fee shall be affixed to the copy prepared.
- (7) No certified copy shall contain the signature of the presiding officer of the revenue court. Care shall be specially taken to mask such signature while scanning or preparing a photocopy.
- (8) Copy shall be signed by way of attestation by the Head Copyist-cum-Record Keeper. He shall before signing satisfy himself that each sheet bears labels and stamps as provided under sub-rule (3) and (6) and punch or cancel such labels and stamps.
- (9) Certified copy after preparation and attestation shall be delivered to applicant personally or to his agent or counsel or shall be sent by post, if so desired, when postage stamps of sufficient value are enclosed with application.
- 102. Express delivery of certified copy.**— (1) An application for express delivery of certified copy, stating ground therefor, shall be accompanied by proof of payment of fee at double the rate prescribed in Schedule V.
- (2) Where the amount of fee paid is sufficient only to the extent of preparation of copy in ordinary mode, the application shall be treated as an application for certified copy by ordinary mode. However, no part of excess fee paid shall be refunded.
- (3) Where the amount of fee paid is not sufficient enough even for preparation of copy in ordinary mode, the application shall be filed and fee paid shall be forfeited.
- (4) The application for express delivery shall be immediately forwarded to the Records Administrator who shall deal with it

- forthwith and may, after taking into consideration the grounds alleged, either allow or reject the application and return it to the Head Copyist-cum-Record Keeper.
- (5) Where the application is rejected under **sub-rule (4)** copy shall be prepared in the ordinary mode. However no part of the fee paid shall be refunded.
- (6) Where the application for express delivery of certified copy is granted the copy applied for shall be prepared as expeditiously as possible giving preference over ordinary applications and in general should be made ready for delivery not later than two working days after the order for express delivery is passed.
- (7) The words "express delivery" shall be noted in red ink at the top of the first page of the copy and in the remarks column of the Register of applications.
- 103. Refund of fee.-** (1) Fee paid for issue of certified copy whether by ordinary mode or express mode shall be refunded in full when the record is not available. In such case a written intimation of the non-availability of record shall be sent to the applicant.
- (2) In other cases the amount paid in excess of fee shall be refunded subject to the provisions of sub-rule (2), (3) and (5) of rule 102.
- 104. Maintenance of accounts.-** Head Copyist-cum-Record Keeper shall keep such registers and other account books as may be directed by Principal Revenue Commissioner from time to time:
- Provided that till such directions are issued the registers and other account books shall continue to be maintained in accordance with the rules and instructions existing immediately prior to coming into force of these rules.
- 105. Issue of certified copy through authorised service provider or through authorised web portal.-** (1) Without prejudice to

foregoing rules of this Part, certified copy of records may be issued through an authorised service provider or through authorised web portal as may be directed by the Commissioner of Land Records from time to time.

- (2) The fee for issue of such copy shall be charged at the rates prescribed in Schedule V and shall be paid in such manner as may be directed by the State Government from time to time:

Provided that no fee shall be charged for copy required by officers of the State Government or the Court of Ward for official use.

- (3) Such portion of the fee shall be paid to the authorised service provider in such manner as may be directed by the State Government from time to time.
- (4) The manner of submission of application, its scrutiny, preparation of copy, payment of fee, attestation of copy and its delivery and maintenance of account shall be as per directions issued by the Commissioner of Land Records from time to time.
- (5) The Commissioner of Land Records may, from time to time, authorise service providers for the purpose of this rule under such terms and conditions as he deems fit.

Chapter VII – Miscellaneous

106. Power of Commissioner of Land Records to issue instructions.- The Commissioner of Land Records may, from time to time, issue such instructions not inconsistent with the Code and these rules as he may deem necessary to give effect to the provisions of these rules.

107. Repeal and savings.- (1) The following rules are hereby repealed, namely:-

- (i) Rules regarding Formation of Survey number and Villages made vide Notification No. 177-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960;
- (ii) Rules regarding Division of Survey numbers into subdivisions and apportionment made vide Notification No. 178-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960;
- (iii) Rules regarding Revenue survey of Agricultural land made vide Notification No. 179-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960;
- (iv) Rules regarding Proposals for Assessment rates made vide Notification No. 180-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960;
- (v) Rules regarding Inquiry into the profits of agriculture and into the value of land used for agricultural and non-agricultural purposes made vide Notification No. 235-IX-62, dated the 24-1-1963;
- (vi) Rules regarding assessment and reassessment of land in urban areas made vide Notification No. 181-6477-VII-N (Rules), dated the 6th January, 1960 and Notification No. 1564-124/VII-N (Rules), dated the 16th March, 1961;
- (vii) Rules regarding particulars for the preparation of map of an abadi, etc. made vide Notification No. 182-6477-VII-N dated 6th January, 1960;
- (viii) Rules regarding Duties of Patwaris made vide Notification No. 3284-379 IX 66 dated 25-11-66 as amended by Notification No. 956-3550-IX, dated 16-4-1971, published in Madhya Pradesh Rajpatra, Part IV (Ga) dated 7-5-71 p. 169;
- (ix) Rules regarding subsidiary field records made vide Notification No. 436-1479-VIII-62 dated 5th March, 1962

- published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 30th March, 1962;
- (x) Rules regarding Duties of Revenue Inspector made vide Notification No. 1978-458-IX-61 dated 29-6-1962;
- (xi) Rules regarding "Preparation of Record of Rights" made vide Notification No. 2498-VII-N-dated the 10th June, 1965 published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 2nd July, 1965;
- (xii) Rules under section 120 made vide Notification No. 184-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960;
- (xiii) Rules for Regulating the preparation maintenance and revision of land records of village made vide Notification No. 1586-1682-VIII 69, dt. 17-6-1970;
- (xiv) Rules regarding Boundaries and Boundary marks, survey marks made vide Notification No. 185-6477-VII-N (Rules) dated the 6th January, 1960 as amended by Notification No. 218-3446-VII-N-1 dated the 20th January, 1966;
- (xv) Rules regarding Demarcation and maintenance of boundary lines made vide Notification No. 186-6477-VII-N-1 (Rules) dated the 6th January, 1960;
- (xvi) Rules under section 135 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 made vide Notification No. 188-6477-VII-N (Rules) dated the 9th January 1960; and
- (xvii) the Madhya Pradesh Revenue Records Rules, 1959.
- (2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

Form I

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)

Niyam, 2020

Khasra

Village/ TownPatwari Halka No. /Sector No.Tahsil.....District.....

Unique ID of parcel of land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (In case of a Block)	1. Area (in ha./ sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/father's/ husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Name of Government lessee, his mother's / father's/ husband's name and address of residence	2. Period of lease	3. Area under lease	Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ father's/ husband's name and address of residence	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details		1. Irrigation status of land. 2. Structures/trees on land 3. Other remarks 4. Orders for correction of entries during year in column no. (1) to (9)
					Crop 1. Kharif 2. Rabi 3. Jayad 4. Other	Area under crop	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		

Form II

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekb)

Niyam, 2020

Masahati Khasra

Village/ TownPatwari Halka No./Sector No.

.....Tahsil.....District.....

Name of the part of village where field lies	Number or/ name of field	Number of plots included in field	Name, mother's/father's/ husband's name and residence of occupant, stating right, revenue and rent	Area (in ha. / Sq. metre)	1.Details of Cropping			Area of current fallow (for 1 year) (in ha.)	Area of other fallow (from 2 to 5 years) (in ha.)	Remarks
					2. Area in cultivation	3. Cropped during year				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Name of crop	Area (in ha.)	Area double-cropped (in ha.)	(9)	(10)	(11)

Form III

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)

Niyam, 2020

Record of Rights

Village/ TownPatwari Halka No, /Sector No.

.....Tahsil.....District.....

S.No.	Survey Number/ Block Number	Plot Number (in case of Block)	Previous Survey no.	1.Area (in ha./Sq. metre)	2. Land Revenue (in. Rs.)	Land use for which assessed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)

1. Name of Bhumiswami/Government lessee	Nature of right	Extent of interest of each holder in case holding is joint	1. Name of Occupancy Tenant (if any)	Encumbrances and charges on land	Remarks
2. His mother's/father's /husband's/ guardian's name			2. His mother's/ father's/husband's name	1. Mortgage	1.Irrigation status
3. Address of residence.			3. Address of residence	2.Hypothecation	2.Other details
(7)	(8)	(9)	(10)	3. Ongoing land acquisition process	(12)

Form IV

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)

Niyam, 2020

Government of Madhya Pradesh

Bhu-Adhikar Pustika

Photo

Name of Bhumiswami

Mother's / father's /husband's name

Name of the village/town.....

Patwari Halka No. / Sector No.

Tahsil

District

SEAL

Digital signature of Competent Authority

Name and seal of Office

Notes

1. Location of land - (a) Distance from National Highway- Not more than Yes No
- (b) Distance from State Highway- Not more than Yes No
- (c) Whether within the area specified in the notification issued under section 165 of the Code- Yes No
- (d) Whether In area other than those specified in the notification issued under section 165 of the Code Yes No
- (e) Whether In the Scheduled Area mentioned in Scheduled Area (Bihar, Gujrat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977 issued by President of India Yes No
2. Size of holding - (a) Small farmer- Yes No
- (b) Marginal farmer- Yes No
- (c) Other Yes No
3. Bhumiswami - (a) Minor Yes No
- (b) Idol or charitable institution Yes No
- (c) Aboriginal tribe declared under sub-section (6) of section 165 of the Code Yes No
- (d) Specified in section 33 of the Madhya Pradesh Bhudaan Yagna Adiniyam, 1968 (No. 28 of 1968) Yes No
- (e) Holds land in Bhumiswami rights under sub-section (3) of section 158 of the Code Yes No
4. Whether land is mortgaged, if yes, give the name of mortgagee - Yes No
5. Whether rights in land are ancestral or self acquired - Ancestral self acquired

Code means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)

PART - I (A)
Land Records

Khata Number.....

Year

Class of Rights in Land (Bhumiswami)

Unique ID of parcel of land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (in case of Block)	1. Area (ha/ sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue (in Rs)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/father's/ husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)	Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ father's/ husband's name and address of residence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PART - I (B)

Details of Payment of Land Revenue

PART - II

For Court's use (Details of bail in court cases)

Name of the Court	Case No.	Name of accused for whom the bail is given	Bail Amount (in Rs.)	Details of order and date of releasing on bail	Signature and seal of Magistrate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Form V

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Details of diverted land of village / sector****Village/ TownPatwari Halka No./Sector No.****.....Tahsil.....District.....**

Unique ID of parcel of Land	Block Number	Plot Number	1. Area (in sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue (in Rs.)	Name of Bhumiswami, his mother's/father's/ husband's name and address of residence	Share of each Bhumiswami
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	1. Structures on land 2. Other remarks 3. Orders for correction of entries during year in column no. (1) to (7)
(7)	(8)

Form VI

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Renumbering List****Village/Town.....Patwari Halka no./Sector no.Tahsil.....****District.....**

S.No.	Survey Number/Block Number/Plot Number	Old number as recorded in Khasra prepared during previous revenue/land survey.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)

Form VII

(See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhū-Rajasva Sanhita (Bhū-SarvekshanTatha Bhū-Abhilekh)

Niyam, 2020

Khatawar Khatoni or Jamabandi

Khata no.	1. Name of holder (S), his mother's/ father's/ husband's name and address 2. Share in holding	Id number of holder (S) (in case of joint holding is number of each holder along with their names)	1. Survey Number/ Plot Number along with M's Block Number ('S') indicates for agricultural land and 'P' for non-agricultural land) 2. Area (in ha./sq. meter)	Land use for which assessed	Assessment (in Rs.)	*Exemption under section 58 A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959	Head of Land Revenue	Demand of current year (in Rs.)	Arrear (if any) (in Rs.)	Upto date interest (According to Section 143 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959) (in Rs.)	Upto date Total Demand (in Rs.)	Amount paid including details of payment (in Rs.) 1. Amount paid 2. particulars of payment	Balance of dues (in Rs.)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Total Land Revenue (Total of column 8)							
							Shah's Uplax (if any)							
							Panchayat Uplax (if any)							
							Vanijyik Uplax (if any)							
							Premium (if any)							
							Penalty (if any)							
							Total							

* If the holding is exempted from the payment of land revenue under section 58 A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, it shall be shown in column (7) as 'exempted'.

Form VIII

(See rule 8)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Village / Sectorwise Bhumiswamiwar Khatoni****Date.....****Village/Town.....Patwari Halka no/Sector no.....Tahsil.....District.....**

Id number of holder	Name of holder, his mother's/ father's/ husband's name and address	All Khata Numbers situated in the village /sector	1. Survey Number/ Plot Number along with it's Block Number ('S' indicates for agricultural land and 'P' for non-agricultural land) 2. Area (in ha./sq. metre)	Land use for which assessed	Assessment (in Rs.)	* Exemption under section 58 A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959	Head of Land Revenue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Khata No.					Total Land Revenue (Total of column 6)
		Share					Shaha Upkar (if any)
							Panchayat Upkar (if any)
							Vanijyik fasal Upkar (if any)
							Premium (if any)
							Penalty (if any)
		Khata No.					Total Land Revenue (Total of column 6)
		Share					Shaha Upkar (if any)
							Panchayat Upkar (if any)
							Vanijyik fasal Upkar (if any)
							Premium (if any)
							Penalty (if any)
							Total

Form IX

(See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)

Niyam, 2020

Register of Government Leases

Date.....

Village/ Town..... Patwari Halka No. / Sector No.
Tahsil.....District.....

Survey Number/ Plot Number along with 11's Block Number ('S' indicates for agricultural land and 'P' for non-agricultural land)	Area (in ha./sq. metre)	1. Period of lease (from ...to...)	1. Land use for which land is given on lease	Name of lessee (S), his/her mother's/ father's/ husband's name and address	Share of each lessee (in case of joint lease)	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details (in case of agricultural land)		Irrigation Status of land (in case of lease for agricultural purpose)	Structures on land	Remarks
							Crop 1. Kharif 2. Rab 3. Jayad 4. other	Area under crop			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Form X

(See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)

Niyam, 2020

Register of Boundary Marks and Reference Points

Village/ Town..... Patwari Halka No. / Sector No.

Tahsil.....District.....

Reference points	Location of Boundary Marks	Longitude	Latitude	Survey no. / Block no. / Plot no.	1. Name of Bhumiswami / lessee, his mother's/father's /husband's name and address	Remarks
1. Chanda-stone	1. On boundary point on village boundary					
2. Primary ground control point	2. On Parcel of Survey no. / Block no. /Plot no.				2. Service land/ Nistar land / Government land	
3. Secondary ground control point	3. On unoccupied land (Block no. / Plot no.)					
4. Tertiary ground control point	4. Between Holder's land and Road / Nala					
	5. Between Forest and Revenue Land (Survey no. /Block no. /Plot no.)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Form XI
(See rule 8)
The Madhya Pradesh Bhū-Rajasva Sanhita (Bhū-SarvekshanTatha Bhū-Abhilekh)
Niyam, 2020
Statewise Bhumiswamiwar Khatoni
Date.....

Id number of holder	Name of holder (S), his mother's/ father's/ husband's name and address	All Khata Numbers situated in the State	1. Survey Number/ Plot Number along with its Block Number ('S' indicates for agricultural land and 'P' for non-agricultural land) 2. Area (in ha./sq. metre)	Land use for which assessed	Assessment (in Rs.)	* Exemption under section 58 A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959	Head of Land Revenue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Village/Town					Total Land Revenue (Total of column 6)
		Patwari halka number / Sector number					Shala Upkar (if any)
		Tahsil and District					Panchayat Upkar (if any)
		Khata No.					Vaniyyik fasal Upkar (if any)
		Share					Premium (if any)
							Penalty (if any)
		Village/Town					Total Land Revenue (Total of column 6)
		Patwari halka number / Sector number					Shala Upkar (if any)
		Tahsil and District					Panchayat Upkar (if any)
		Khata No.					Vaniyyik fasal Upkar (if any)
		Share					Premium (if any)
							Penalty (if any)
Total							Total

Form XII

(See rule 10)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

No...../Land Survey/...../2020
dated.....

Gwalior,

Notification**Commencement of Land Survey**

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-sarvekshan Tatha Bhu-abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey,-

Schedule

S.No	District	Tahsil	Village/Town	Patwari Halka No/Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Commissioner Land Records
Madhya Pradesh,

Form XIII

(See rule 10)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

No...../Land Survey/...../2020
dated.....

Gwalior,

Notification

Declaration of Closing of Land Survey

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-sarvekshan Tatha Bhu-abhilakh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, declares that the Land Survey operated upon the area mentioned in Notification No..... dated..... published in Rajpatra dated, issued by Commissioner Land Records, Madhya Pradesh is closed.

Commissioner Land Records
Madhya Pradesh,

Form XIV

(See rule 14)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Office of the District Survey Officer, District

No...../Land Survey/...../2020

Dated.....

Notification**Proclamation of Commencement of Survey Operations**

In pursuance of the provisions contained in rule 14 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, I,District Survey Officer, hereby, declares that a Notification No.....dated.....published in Rajpatra dated..... has been issued by Commissioner Land Records, Madhya Pradesh, in which the area mentioned in such notification has been notified under land survey.

During land survey, a new record of rights shall be prepared in which all holders name, their shares, liabilities and easement rights shall be recorded and Nistar Patrak and Wajib-ul-arz for the villages shall also be prepared.

It is required from all the persons, who may be affected, that they shall be presented on their fields during the said survey operations and co-operate to the employees deployed and provide the details of their title, boundaries, shares, liabilities and rights in land. It shall be in the interest of all the tenants.

Place

Date

Seal

Signature of District Survey Officer

District.....

Form XV

(See rule 17)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Office of the District Survey Officer, District.....

No...../Land Survey/...../2020

Dated.....

Proclamation for calling claims and objection regarding draft land records

In pursuance of the provisions contained in rule 17 of the *Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020*, this proclamation is issued to public general that the record of rights of village /sector.....Patwari Halka No./Sector No.shall be finalised by the District Survey Officer or the Officer authorized for this purpose. The copy of draft of record of rights is hereby displayed on..... in which all the details of proposed amendments are mentioned. Please study the details or understand it through some other person. If anyone has any objection regarding any entry, he may submit his objections in writing or may present in person before the District Survey Officer or the Officer authorized before the..... day of

The claims or objections shall be taken into consideration on the expiry of the date given above of this proclamation.

Place

Date

Seal

Signature of District Survey Officer/

Authorized Officer

Form XVI

(See rule 17)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Office of the District Survey Officer, District**

No...../Land Survey/...../2020

Dated.....

Notice for calling claims and objection regarding draft land records

To,

Name of the holder(*Bhumiswami/government lessee*)

Village/Town.....

Patwari halka no/Sector no.....

Tahsil.....District.....

In pursuance of the provisions contained in rule 17 of the *Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020*, you are hereby informed that the record of rights of village /sector.....shall be finalised by the District Survey Officer or the Officer authorized for this purpose. The copy of draft of record of rights of khata no.....related with you is hereby enclosed in which all the details of proposed amendments are mentioned. Please study the details or understand it through some other person. If you have any objection regarding any entry, you may submit your objections in writing or may present in person before the District Survey Officer or the Officer authorized during finalizing the record of rights.

Enclosure- Copy of draft of record of rights.

Place

Date

Seal

Signature of District Survey Officer/
Authorized Officer

Authorized Officer

District.....

Form XVII

(See rule 17)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Office of the District Survey Officer, District.....

Acknowledgement Register of Service of Notices

S.No	Case no.	Name of village/town including Patwari Halka No./ Sector No.	Name of person to whom the notice is issued	Name of receiver of notice and relation with the person to whom the notice is issued	Signature of receiver	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Form XVIII

(See rule 18)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Claims and Objections on Draft Land Record**

Before the(Designation of Authority) District.....

A. Particulars of Objector
1. Name of the person filing claims or objections
2. Mother's/Father's/ Husband's name
3. Full postal address of residence
4. Mobile/Phone number
B. Particular of land
5. District
6. Tahsil
7. Village/Town and Patwari Halka No./sector No.
8. Name of the draft land records and entries in respect of which claims and objections are being filed
C. Particular of claims and objections
9. Claims / Objections
10. List of documents enclosed	1. 2. 3.

Date.....

Place.....

Signature

Name.....

Form XIX

(See rule 20)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Office of the District Survey Officer, District.....

Notice of Publishing the Final Land Records

In pursuance of the provisions contained in sub-rule (2) of rule 20 of the *Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTathabBhu-Abhilekh) Niyam, 2020*, it is hereby, informed to public general that the and records of village/town..... Patwari Halka No/Sector No..... tahsil..... district..... Madhya Pradish has been finalised and published on website

Place

Date

Seal

Signature of District Survey Officer

District.....

Form XX

(See rule 21)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Office of the District Survey Officer, District.....

**List of cases in which decision of any court affecting the entries in
land record**

S.No.	Case No.		Short description of case	Remarks
	Date of entry	Name of Court		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Form XXI

(See rule 21)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020**List of pending cases in the court of District Survey officer**

S.No.	Case No. and date of entry	Short description of case	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)

Form XXII

(See rule 29)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Record of Persons to whom Bhu-AdhikarPustika is given**

Village/Town.....Patwari Halka No./Sector no.....Tahsil.....

District.....

S.No	Khata No.	Name of the Bhumiswami	Bhu-AdhikarPustika No.	Signature of receiver and date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Form XXIII

(See rule 48)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Whereas, for the purpose indicated below it is necessary to survey and measure your survey no. (s)/block no (s)/plot no. (s) shown in the annexed Schedule, in order to ascertain its/their boundaries;

Here indicate the purpose for which survey and measurement is necessary.
--	----------------

You are hereby required to appear on the spot on.....to point out the said boundaries. In case you fail to appear, the work of ascertainment of boundaries shall be done in your absence and no objection in respect thereof shall be entertained.

Revenue Officer/Revenue
Inspector/
Nagar sarvekshak/ Patwari

Dated,.....

SCHEDULE

Survey No./block No.	Plot No. in case of block (if any)	Village/Town	Patwari Halka No./Sector No	Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Form XXIV

(See rule 57)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020

Register of Encroachment

Village/Town Patwari Halka No./Sector No..... Tahsil
District.....

S.No	Date of detection of encroachment	Name of person encroaching with mother/father's/ husband name and address	Particulars of land encroached upon			
			Survey no./Plot no. along with its block no.	Area (in ha./Sq Metre)	*Class of land	Area of encroachment (in ha./Sq. Metre)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Nature of encroachment	Serial No. allotted to the sketch of encroachment	Date of reporting encroachment to the Tahsildar	Case no. and date of final order	Abstract of final order	Compliance report of final order	Remarks
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Patwari/Nagar Sarvekshak
Patwari Halka No./Sector No.....
Tahsil.....

*Class of land – For the purpose of column (6) of register of encroachment, class of land includes land recorded as abadi, service land, land set apart for exercise of Nistar rights, Wajib-ul-arz, land set apart for public purpose under section 233-A of the Code, public way, revenue forest or any other unoccupied land or any land which is the property of government or any authority, body corporate, or institution constituted or established under any State enactment or land belonging to religious entity managed by Collector.

Form XXV
(See rule 91)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020**

Inspection Book

Date	Name, occupation and signature of applicant seeking inspection	Record, book or register of which inspection is sought	Capacity in which inspection is sought
(1)	(2)	(3)	(4)

Initials of officer ordering inspection	Time occupied in Inspection		Details of inspection fee paid	Remarks
	From	To		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Form XXVI

(See rule 96)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Application for Certified Copy**

To,

The Head Copyist-cum-Record Keeper

.....

.....

Application No.....

S.No	Particulars
(1)	(2)
1	Name of applicant Aadhar No. (optional)
2	Postal address
3	e-mail
4	Mobile No.
5	Details of document of which certified copy is required, 1. In case of land records give full details e.g. name of the document, khasra no/block no/plot no, village /town and sector no./tahsil etc. 2. If the document is a part of revenue case, give the number and name of the case along with the name of revenue court. 3. Other details.
6	Expected page number
7	Amount deposited (in rupees) (Grounds if exempted from payment of fee)
8	Place
9	Date
10	Signature of the applicant

Form XXVII

(See rule 98)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020

Register of application received for copies and their disposal

Name of Office.....

S. No	Date of receipt of application	Name and address of applicant	Details of copies/records or maps sought
(1)	(2)	(3)	(4)

Date of issue of copy	Value of Stamp affixed on copies	Remarks
(5)	(6)	(7)

Form XXVIII

(See rule 98)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020

Acknowledgement of Application for Certified Copy

To,

Shri/Smt./Ku.....

Son/Daughter/Wife of.....

Address.....

.....

The application no.....submitted for certified copy is hereby acknowledged.

Date.....

Seal

Place.....

Name and designation of Receiving Authority

Tahsil.....

District

Schedule – I

(See rule 49 and 50)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Specification of Boundary marks**

S. No.	Type of boundary mark	Specification
(1)	(2)	(3)
1	Boundary marks of villages	(1) Stones not less than 1.00 metre long and 0.15 square metre embedded in rubble and mortar with not more than 0.30 meter above the ground level. OR (2) Masonary pillars of cement, mortar or burnt brick in cement mortar 0.30 square metre and 1.00 metre high of which 0.60 metre must be embedded in the ground with the foundations stepped down.
2	Boundary marks between holder of a land and unoccupied land	(1) An un-ploughed strip 1.5 metre in width OR (2) A dhura 0.50 meter high, 1.50 meter wide at the base and 1.00 meter at the top OR (3) A strong fence or wall OR (4) Property pins specified in the table of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018.

Schedule – II

(See rule 84)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Record Room-cum-Copying Section**

Serial No	Name of Office	Record to be stored
(1)	(2)	(3)
1.	Board of Revenue, Gwalior	Records of Board of Revenue Office
2.	Commissioner Land records	Record of Commissioner of Land Records
3.	Principal Revenue Commissioner	Record of Principal Revenue Commissioner Office
4.	Commissioner	Revenue Court case files and orders, other office files and other records as directed by the State Government
5.	Collector	Revenue survey and settlement records, land survey records, Revenue court case files and orders and other office files and other records as directed by the State Government
6.	Tahsildar	1. Record of Sub-Divisional Office, 2. Record of Tahsil Office 3. Record of Gram Panchayat related to revenue cases only 4. Other records as directed by State Government

Schedule III

(See rule 89)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Inspection Fee**

Description	Duration of inspection	Fee (in rupees)
(1)	(2)	(3)
Inspection of records (per person, who want to inspect the records)	For first hour	100/-
	For each subsequent hour or any portion thereof	50/-

Schedule-IV

(See rule 94 and 105)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)**Niyam, 2020****Fee for certified copy of records issued through authorized service provider
or authorized web portal under rule 94 and 105**

S.No.	Description of Record/Documents	Fee for first page (Rs)	Fee per subsequent page (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KhasraEksala/KhasraPanchsala/KhataJamabandi(Khatoni)/ Record of Right/Khewat	30.00	15.00
2	Wajib-ul-arz, NistarPatrak	30.00	15.00
3	Copy of map in A-4 size	30.00	15.00
4	Copy of Namantran Register (in A-4 size)	30.00	15.00
5	Copy of an Order in a Revenue Case/Copy of an Order Sheet in a Revenue Case/Copy of Revenue Case Register (in A-4 size)	30.00	15.00
6	Hand written Khasra Panchasala (Scanned Copy) (in A-4 size)	30.00	15.00
7	Hand written revenue case Register (Scanned Copy) (in A-4 size)	30.00	15.00

Schedule- V

(See rule 96 and 102)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasya Sanhita (Bhu-SarvekshanTatha Bhu-Abhilekh)
Niyam, 2020****Fee for certified copy of records issued under rule 96 and 102**

Serial No.	Description of Record/Documents	Unit	Fee per Unit (in Rupees)	Mode of payment	Time limit for delivery of the record
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Khasra (computerized record) – electronic copy	per survey number/ block number	5.00		
2.	Khasra (computerized record)- hard copy A4 size paper	per survey number/ block number	5.00		
3.	Khatoni (computerized record)- electronic copy	per holding	10.00		
4.	Khatoni (computerized record)- hard copy	per holding	10.00		
5.	Map (On A4 size)	per survey number/ block number (if they are adjacent to each other)	5.00		
6.	Nistar Patrak	Village wise	100.00		
7.	Wajib-ul-arz	Village wise	100.00		
8.	Khewat	Village wise	50.00		
9.	Record of Right	per holding	10.00		
10.	Renumbering list	Village wise	100.00	Online and by	As per the

Serial No.	Description of Record/Documents	Unit	Fee per Unit (in Rupees)	Mode of payment	Time limit for delivery of the record
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Mutation Register	per case	10.00	electronic means including credit card, debit card, APPS etc, challan in government treasury, court fee label	Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Praday Ki Guarantee Adhinyam, 2010 (No. 24 of 2010)
12.	Revenue case records	Whole Case file	200.00		
13.	Final/interim order of revenue case	per page	10.00		
14.	Order sheet in revenue case	Per page	10.00		
15.	Documents of a revenue case	Per page	10.00		
16.	Register of revenue cases (Dayarat Panji)	per page	10.00		
17.	Birth/Death/Income/Caste/Domicile Certificates	per certificate	50.00		
18.	Bhu Adhikar Pustika	per book	50.00		
19.	Complaint, statement and enquiry reports	Per page	50.00		
20.	Any other record not mentioned above	Per Page	10.00		

Note:- Fee for express delivery of a certified copy under rule 102 shall be charged at double as prescribed in column (4) of the aforesaid Schedule.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHRIKANT PANDEY, Addl. Secy.